
mRRkj[k.M vYi l[;d vk;kx]

**l puk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 4¼1½ [k d
vUrxr 17 fcUnvk ij vk;kx d euvy**

¼ foRrh; o"k 2025&26 ½

Hkkx&1

euvy l[;k&1 l 17 rd

dk;k;y;%& vYi l[;d dY;k.k Hkou 'kghn Hkxr flg dkykuh

v/kkbokyk ngjknuA

Qku u0& 0135&2781201

I puk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005 dh /kkjk&4%1%^{1/2}[%k%

%euvy 1&17 rd%

euvy l0	fo"K;	lk"B
1	lxBu dh fof'f"V;k dR; vkj dr0;	3&29
2	vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh 'kfDr;k vkj dr0;	30&37
3	fofuf'p; dju dh ifd;k e ikyu dh tku okyh ifd;k ftle lk;o{k.k vkj mRrjnkf;Ro d ek;/e lfefyr g	38&39
4	dr;k d fuogu d fy, Lo; }kjk LFkfkfir ekud	40&49
5	viu }kjk }k viufu;=.kk/khu /kkfjr ;k viufu depkfj;k }kjk viufu dr0;k d fuogu d fy; i;x fd; x; fu;e] fofu;e] vun'k] funf'kd vkj vfHky[kA	50&58
6	,l nLrkot tk mld }kjk /kkfjr ;k mld fu;=.kk/khu g] ioxk dk fooj.k	59
7	fdlh 0;oLFkk dh fof'kf"V;k] tk mldh uhfr dh ljpu ;k mld dk;kUo;u d lcu/k e turk d lnL;k l ijke'k d fy, ;k mud }kjk vH;konu d fy, fo eku gA	60
8	,l ckMk] ifj"knk] lfeR;k vkj vU; fudk;k d fooj.k] ftue nk ;k vf/kd 0;fDr g] ftudk mld Hkkx :lk e ;k bl ckj e lykg nu d i;ktu d fy; xBu fd;k x;k g] fd D;k mu ckMk] ifj"knk] lfeR;k vkj vU; fudk;k dh cBd turk d fy, [kyh glxh ;k ,lh cBd d dk;orRk rd turk dh igp glxh	61
9	vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh funf'kd	62&63
10	iR;d vf/kdkjh vkj dePkkjh }kjk iklr ekfld ifjJfed] ftld vUrxr ifrdj dh i.kkyh Hkh g] tk mld fofu;ek e ;Fkk micf/kr gA	64
11	lHkh ;ktukvk] iLrkfor 0;;k vkj fd; x; lforj.kk ij fjikV dh fof'kf"V;k minf'kr djr g, viufu iR;d vfHkdj.k dk vkofVr ctv	65&76
12	lgkf;dh dk;dek d fu"iknu dh jhfr ftle vkofVr jkf'k vkj ,l dk;dek d Qk;nkxfg;k d C;kj lfefyr gA	77
13	viufu }kjk vunRRk fj;k;r] vuKki=k ;k if/kdkj d iflrdrvk dh fof'kf"V;k	78
14	fdlh byDVkfud :i e lpuk d lEcU/k e C;kj] tk mldk miyC/k gk ;k mld }kjk /kkfjr gk	79
15	lpuk vfHkiklr dju d fy, ukxfjd dk miyC/k lfo/kkvk dh fof'kf"V;k ftud vUrxr fdlh iLrdky; ;k okpu d{k d ;fn ykd mi;kx d fy, vujf{kr g ;k dk;dj.k ?kV lfefyr gA	80
16	ykd lpuk vf/kdkfj;k d uke] inuke vkj vU; fof'kf"V;k	81
17	,lh vU; lpuk tk fofgr dh tk;%	82

euvy l[;k & 1

lxBu dh fof'f"V;kl dR; vkj dr0;

(The particulars of its organization, functions and duties)

- 1& lxBu dk uke vkj irk&mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx] 'kghn Hkxr flg dkykuh v/kkbokyk] ngjknuA
- 2& lxBu dk ie[k@lxBu pV& vk;kx dk lxBukRed Lo:lk&Lohdr ink dh l[;k&11

Ø-I.	Lohdr ineku	orueku	ink dh l[;k
1	lfpo	15600&39100	01
2	y:[kkdkj	9300&34800	01
3	ol;fDr d lgk; d¼v/;{k gr½	9300&34800	01
4	Okfj"B fyfid	5200&20200	01
5	dEl;Vj vkijVj	5200&20200	01
6	Okkgu pkyd¼v/;{k ,o lfpo gr½	5200&20200	02
7	prFki JI.kh deipkjh	4440&7440	04
	;kx		11

ek0 vk;kx e ,d v/;{k] nk mik/;{k ,o uk lnL; gA oreku e v/;{k dk in fjDr gA

Ø-I.	egkuHkko dk uke@inuke@irk@ek0 u0	;lxnku dh frfFk
1.	Jherh Qjtkuk] EkkO lnL;k@vfrfjDr iHkkj mik/;{k iRuh Jh lyhe] fuoklh&okM u0&25] rjkb fogkj dkykuh] x:ukud fMxh dkyt] Qktyij egjkyk] :nij] Å/keflguxjA ek0 u0& 9837618455	23-06-2025
2.	ek0 rLyhe] ek0 lnL;] ek0 lnL;] fuoklh&flrkjxt] Å/keflguxjA ek0 u0&7820064678	06-01-2022
3.	Jh txt hr flg] EkkO lnL;] i= Jh y[kfoUnj flg] fuoklh&xke Qy;k] ikLV IMklfM;k] Qy;k] ftyk&Å/keflguxjA ek0 u0&9639653118	23-06-2025
4.	Jh xxunhi flg cnh] EkkO lnL;] i= Jh tkxUn flg cnh] fuoklh&ch 40@41] Hkjr fogkj dkykuh] _f"kd'k] tuin ngjknuA ek0 u0&9997519930	23-06-2025
5.	Mk0 IjUn dekj tu] EkkO lnL;] i= Jh n'ku dekj tu]	23-06-2025

	fuoklh&pdjij vkykij] rgly&cktij] ftyk&A/keflguxjA ek0 u0&8057913000] 9456426222	
6-	Jh ;'kh Fklru] Ekk0 lnL;] i= iek th- fLFkj] fuoklh Luk fo;] okM 'kkfr fuokl] pVku ykt] eYyhrky] uuhrkyA ek0 u0&9837213934	23-06-2025
7-	Jh uQhI vgen] Ekk0 lnL;] i= Jh vCny xuh] fuoklh&44] ilfr ,Udyo] ektjk] ngjknuA ek0 u0& 9412210600	23-06-2025
8-	Jh ldy vgen] Ekk0 lnL;] io lHkl ln] cuclk] i= Jh vCny jgeku] fuoklh&okM u0&02] ipidfj;k cuclk] ikLV&pknuh] tuin pEikora ek0 u0& 9897629470] 9536046646	23-06-2025
9-	Jh 'kkfjd efyd] ek0 lnL;] i= Jh eryc vgen] fuoklh&68@2F jldkl] ngjknuA ek0u0&9084888555	23-06-2025

3& fotu] fe'ku vkj e[; mnn';

mÜkj[kM vYil[;d dY;k.k dk fotu& vYil[;d lenk;k dk lkekftd] vkfFkd vkj 'kf{kd
fodkl djuk rFkk mud thou&Lrj e l/kkj ykdj mUg fodkl dh e[; /kkjk l tkMuka

fe'ku& vYil[;d ox dk f'k{kk dh cgrj lfo/kk, miyC/k djuk] mud 'kf{kd Lrj e
x.kkRed l/kkj djuk vkj lkekftd ,o vkfFkd vlekurkvk dk de djd mUg lekt d vU;
oxk d leku voljk rd igpkuka

e[; mnn';&

- vYil[;d lenk; dh f'k{kk vkj 'kf{kd Lrj e l/kkj djuka
- dk'ky fodkl vkj jktxkj d volj c<kuka
- Lojktxkj vkj vkfFkd vkRefuHkjr d fy, lgk;rk nuka
- t:jren yxxk rd ljdkjh dY;k.kdkjh ;ktukvk dk ykHk igpkuka
- enjlk e vk/kfud f'k{kk t l xf.kr] foKku] fgnh] vxth vkj dl;Vj f'k{kk dk c<kok nuka
- vYil[;d lenk; d lo/kkfud vf/kdkjk dh j{kk lfuf'pr djuk

4&dk; vkj dRk0;& jkT; e vYil[;d lenk; d fdlh 0;fDr dk mRihMu gku ij] og
fuHkh d gkdj ,d ikFkuk i= ek0 vk;kx d v/;{k d uke ilrr dj ldrk gA ikFkuk i=
iklr gku ij vk;kx viU Lrj l loiFke foHkxh; vf/kdkjh@fitykf/kdkjh @ifyl v/kh{k d
l tkp djkdj f'kdk;rh okn d fuLrkj.k gr dk;okgh dh tkrh g] lkFk gh tkp vk[;k l
f'kdk;rdrk dk voxr dj;k;k tkrk gA lger u gku ij ek0 vk;kx }kjk Lo; tkp dh
tkrh gA vk;kx }kjk dh xb tkp fjikV ek0 v/;{k d vueknukijkUr flQkfj'k
'kklU@ljdkj dk Hkth tkrh gA

%& vk;kx l eLr ;k fuEufyf[kr drD; dk ikyu djxk&

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ mRRkj[k.M e vYil[;dk d fodkl dh ixfr dk eY;kdu djukA
 $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ lfo/kku vkj jkT; fo/kku e.My }kjk vf/kfu;e fof/k;k e micfu/kr vYil[;dk l
 lEcfu/kr j{kkik;k d dk;dj.k dk vuJo.k djukA
 $x\frac{1}{2}$ ljdkj l vYil[;dk d fgrk d l j{k.k d fy; j{kkik; d iHkkoh dk;kUo;u d fy;
 flQkfj'k djukA
 $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ vYil[;dk d vf/kdkjk vkj j{kkik;k l ofpr fd; tku d lEcu/k e fofufn"V f'kdk;rk
 dk n[kuk vkj ,l ekeyk dk lefpr ikf/kdkfj;k d le{k mBkukA
 $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ vYil[;dk d fo:) fdlh foHkn l mRiUu gku okyh leL;kvk dk v/;;u djokuk vkj
 mud fujkdj.k d mik;k dh flQkfj'k djukA
 $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ vYil[;dk d lkekftd] vkfFkd vkj 'kf{k d fodkl l lEcfu/kr fookn ij v/;;u 'kk/k
 vkj fo'y"n.k dk lpkyu djukA
 $\frac{1}{4}t\frac{1}{2}$ ljdkj dk vYil[;dk l lEcfu/kr fdlh fo"k; vkj fo'k"kdj mud }kjk vuHko dh tku
 okyh dfBukb;k d lEcu/k e fu;rdkfyd ;k fo'k"n fjikV nuk vkj
 $\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$ dkb vU; ekeyk tk jkT; ljdkj }kjk ml fufn"V fd;k tk;A

2- ljdkj dk mi/kkjk $\frac{1}{4}1\frac{1}{2}$ d [k.M $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ e fufn"V flQkfj'kk ij dh xb iLrkfor dk;okgh dk
 Li"V djr g, vkj ;fn dkb flQkfj'k Lohdkj ugh dh xb g rk mldk dkj.k nr g,
 ,d Kkiu d lkFk jkT; fo/kku e.My d le{k j[kok;xhA

'kfDr;k& vk;kx dh mi/kkjk $\frac{1}{4}1\frac{1}{2}$ d [k.M $\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ vkj $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ e mfYyf[kr dR;k d ikyu e
 ;g lHkh 'kfDr;k gkxh tk fdlh flfoy U;k;ky; e fdlh okn dh luokb d le; fufgr g vkj
 fo'k"kdj fuEufyf[kr fo"k;k d lEcu/k e vFkk&

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ fdlh 0;fDr dk lEeu djuk vkj gkftj djuk rFkk 'kiFk ij mldh ijh{kk djukA
 $\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ fdlh nLrkot d idV vkj i'k dju dh vi{k dkjA
 $\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ 'kiFk&i=k ij lk{; xg.k djukA
 $\frac{1}{4}?k\frac{1}{2}$ fdlh dk;ky; l dkb ykd vfHky[k ;k mldh ifrfyfi vif{kr djukA
 $\frac{1}{4}M\frac{1}{2}$ lk{;k vkj nLrkotk dh ijh{kk d fy; deh'ku tkjh djuk vkj
 $\frac{1}{4}p\frac{1}{2}$ dkb vU; fo'k; tk fofgr fd;k tk;A

tk dkb /kkjk&9 mi/kkjk $\frac{1}{4}3\frac{1}{2}$ d v/khu vk;kx d fdlh vkn'k ;k fun'k dk ikyu dju d
 fy; o/k :i l vkc) gkr g, ml vkn'k ;k fun'k dk voKk djxk] ;FkklFkfr Hkkjr;h; n.M
 lfrgk] 1860 $\frac{1}{4}vf/kfu;e$ l[;k& 45 lu 1860 $\frac{1}{2}$ dh /kkjk 174]175]176]178]179 ;k 180 d v/khu
 nf.Mr fd;k tk;xkA

5& dkb vU; fooj.k& foHkkx dh mRifRRk] LFkkiuk] xBu vkj le;≤ ij xBr
lfefr;k@vk;kx dk fooj.k& mRRkj[k.M ljdkj jkT; d rjg tuink e fofHkUUK /kek vkj
 lenk;k d lkekftd] 'k{kf.kd] lLdfrd vkj vkfFkd mUUK;u d fy, lRkr i;Ru'khy g blh
 de e jkT; d vYil[;d oxk d fgrk dh j{kk d fy, ljdkj u fnukd 19] tu] 2002 dk
 mRrjk[k.M vYil[;d vk;kx dk xBu fd;kA ft le v/;{k@mik/;{k lfr lnL;k dh fu;fDr
 dh x;h rFkk mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx] u 29 flrEcj 2003 dk dk;] djuk ikjEHk dj fn;kA



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई०
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002
(अधिनियम संख्या 09, सन् 2002)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या
आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—एक
प्रारम्भिकसंक्षिप्त नाम
विस्तार
और प्रारम्भ

- 1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा.
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषाये:

2. इस अधिनियम में जब तक की संन्दर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो:
 - (क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग से है.
 - (ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है.
 - (ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित है.
 - (घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है.

अध्याय—दो
आयोगउत्तरांचल
अल्पसंख्यक
आयोग का
गठन

- 3 (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा.
- (2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे. परन्तु अध्यक्ष सहित दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे.

अध्यक्ष और
सदस्यों की
पदावधि और
सेवा की शर्तें

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.
- (2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है.
- (3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हट्य देगी, यदि वह व्यक्ति:—
 - (क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है.
 - (ख) किसी अपराध के लिये जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हैं, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है.
 - (ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है.
 - (घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है.
 - (ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है.
 - (च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर सुने जाने अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है.
- परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का व्यक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा

6

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें.

5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हों, व्यवस्था करेगी.

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएँ.

6 अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा-5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा-10 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा.

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी

रिक्तियों इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नहीं करेगी

- (8) (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, अपनी बैठक करेगा.
- (2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा.
- (3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे.

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

अध्याय-तीन आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्—
- (क) उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;
- (ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;
- (घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
- (ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

आयोग के कृत्य

- (ग) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;
 - (ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किए जाने हेतु सुझाव देना; और
 - (झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।
- (2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है, उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा।
- (3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्
- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
 - (ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना
 - (ग) शपथ पत्रों पर सक्ष्य प्रवृत्त करना;
 - (घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना,
 - (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और
 - (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अध्याय : चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा
अनुरान

10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी।
- (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में संचालन करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

1. (1) आयोग उचित लेख और अन्य सुगम अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाय।

लेखा और लेख
परीक्षा

- (2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेंस शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा परीक्षा करवायेगी।

राज्य विधान
मण्डल के समक्ष
रखी जाने वाली
वार्षिक रिपोर्ट
और लेखा परीक्षा
रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।
13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश में अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय पांच
प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष
सदस्य और
कर्मचारी लोक
सेवक होंगे

- (14) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

15. जो कोई धारा-9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का शास्त्रित पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निदेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति; भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।
16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या अपराध का आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा संज्ञान अन्यथा नहीं।
17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति
- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्
- (क) धारा-4 की उपधारा-5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों और धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;
- (ख) धारा 9 की उपधारा-3 खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्य मामला।
- (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा।
- (घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- (ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय।
18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 एतद्वारा, जहां तक उत्तरांचल राज्य में लागू होने का प्रश्न है इस अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-3 के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 का निरसन

आज्ञा से,

(आर० पी० पाण्डेय)

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Uttaranchal Commission for Minorities Bill, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2002) :

No. 219/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, June 19, 2002

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on June 16, 2002.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 2002

(Act No. 09 of 2002)

To constitute a Commission for minorities in Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental therein

AN
ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-Third Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Uttaranchal Commission for Minorities Act 2002.
(2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, publish in this behalf. | Short title,
extent and
commencement |
| 2. | In this Act unless a contrary intention appears from the context
(a) "Commission" means the Uttaranchal Commission for Minorities constituted under section 3;
(b) "Government" means Government of Uttaranchal;
(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman of the Commission;
(d) "Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government. | Definitions |

CHAPTER-II

THE COMMISSION

- | | | |
|----|--|--|
| 3. | (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttaranchal Commission for minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act; | Constitution of
the Uttaranchal
Commission for
Minorities |
|----|--|--|

Term of office and conditions of service of Chairman and Members	(2) The Commission shall consist of a Chairman and two Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman; Chairman shall be from amongst the minority Communities. 4. (1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office. (2) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time. (3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section(2) if that person:- (a) becomes an undischarged insolvent; (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Courts; (d) refuses to act or becomes incapable of acting; (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission absents from three consecution meeting of the Commission or; (f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest; Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter. (4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination. (5) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.
Officers and other employees of the Commission	5.(1) The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission. (2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.
Salaries and allowances to be paid out of grant	6. The salaries and allowances payable to the Chairman, Members and the administrative expenses, including salaries allowances and pension payable to the officers and other

employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub section(1) of section 10.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Commission.

Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Commission.

- 8.(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.
(2) The Commission shall regulate its own procedure.
(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

Procedure to be regulated

CHAPTER-III

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions namely:-
(a) evaluate the progress of the development of minorities in Uttaranchal;
(b) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the Constitution and in laws enacted by the State Legislature;
(c) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;
(d) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;
(e) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;
(f) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;
(g) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;
(h) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and
(i) any other matter which may be referred to it by the Government.
(2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause(c) of sub-section(1) to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations.

Functions of the Commission

- (3) The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clauses(a),(b) and(d) of sub-section(1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-
- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
 - (e) issuing Commissions or the examination of witnesses and documents; and,
 - (f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER-IV Finance, Accounts and Audits

Grant by the
Government

10. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the Commission by way of grants such sums of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

Accounts and
audit

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.
- (2) A copy of the annual statement of accounts and the balance sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

Annual Report

12. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

13. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained there in and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received before the State Legislature.

Annual Report and audit report to be laid before State Legislature

CHAPTER-V

Miscellaneous

14. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860.

Chairman, Member and Staff of the Commission to be public servant.

15. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub-section(3) of section 9, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174,175,176,178,179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860(Act XLV of 1860) as the case may be.

Penalty

16. No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the Complaint in writing of the Chairman or a Member or of an Officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission.

Cognizance of Offences

- 17.(1) The Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely

- Salaries and allowances payable is and the other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub-section(5) of section 4 and of officers and other employees under sub-section(2) of section 5;
- any other matter under clause(f) of sub-section (3) of section 9;
- the form in while the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section(1) of section 11;
- the form in and the time at which the annual report shall be prepared under section 12;
- any other matter which is required to be; or may be prescribed.

Power to
remove
difficulties

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Government may by a notified order make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section(1) shall be made after the expiration of the period of two years from the Commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section(1) shall be laid as soon as may be before the State Legislature and the provisions of sub-section(1) of section 23-A of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttaranchal Act.

Repeal of U.P. Act
No 22 of 1994

19. The Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 is hereby repealed in Uttaranchal after the publication under sub section (3) of section 1 of notification of this Act.

By Order,

(R. P. PANDEY)

Sch./v.

अल्प संख्यक आयोग हेतु स्टाफ की आवश्यकता

पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
1. सचिव आयोग (श्रेणी 2 का पद)	1	8000-13500
2. लेखाकार	1	5000-8000
3. वैयक्तिक सहायक आयोग के अध्यक्ष के लिये	1	5000-8000
4. वरिष्ठ लिपिक	1	4000-6000
5. कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	3050-4590
6. चालक (एक चालक अध्यक्ष तथा एक चालक सचिव के लिए)	2	3050-4590
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मी (एक चपरासी अध्यक्ष के लिए, एक चपरासी दो अन्य सदस्यों के लिये एक चपरासी सचिव के लिये तथा एक चपरासी कार्यालय के लिये)	4	2550-3200

नोट:-सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था संविदा पर की जायेगी।

अल्प संख्यक आयोग के लिए वित्तीय आवश्यकता

(घनराशि लाख में)

1	अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों के लिए एक मुश्त मानदेर रु. 15000 प्रतिमाह की दर से	5.40
2	आयोग के सचिव के वेतन भत्तों के लिए 8000-13500 के वेतनमान पर श्रेणी 2 का पद	1.44
3	लेखाकार, वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
4	अध्यक्ष के लिये वैयक्तिक सहायक वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
5	वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 4000-6000 पर देय वेतन भत्ते	0.72
6	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान 3050-4590	0.56
7	चालक वेतनमान 3050-4590	1.12
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान 2550-3200	1.836
9	एक कार अध्यक्ष के लिए तथा एक डीजल जीप सचिव के लिए	8.00
10	कार्यालय भवन का किराया रु.10000 प्रति माह की दर से	1.20
11	कम्प्यूटर एक	1.00
12	फोटोस्टेट मशीन एक	1.00
13	टेलिफोन एक	0.50
	एक	0.20
	राज सज्जा	2.00
	इन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय	1.00
		0.50
	योग:-	28.276



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

• विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003, पर 16-04-2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 09, सन् 2003)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन के लिए :-

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

मुद्रित नाम,
विरतार और
प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की
धारा 3 (2) का
संशोधन

मूल अधिनियम, की धारा 3 (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :-

2. "आयोग में प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें एक महिला हो होंगे; परन्तु अध्यक्ष सहित चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होंगे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Minority Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 09 of 2003) for general information:

No. 181/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor
April 16, 2003

THE UTTARANCHAL MINORITY COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT No. 09 OF 2003)

AN

Act

To further amend the Uttaranchal Minority Act, 2002 in it's application
Uttaranchal.

It is HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follow.

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Minority Commission
(Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

Amendment of
section 3 (2) of
the Principal
Act

In section 3(2) of the Minority Commission Act, 2002 (hereafter referred
as the Principal Act) the following section shall be substituted namely.

2. The Commission shall consist of a Chairman and Four member
to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and
integrity including a woman; provided that the Chairman and other Four member
shall be from amongst the minority communities.

By Order,

BHAROSI L
Sach



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई०

फाल्गुन ०९, १९२६ शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 47/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 23-02-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2004 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं० 03, सन् 2004)

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रतर संशोधन के लिए

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,
[Signature]

राशिधा मांम,
[Signature]

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की
धारा 2 के खण्ड
(ग) का संशोधन2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :-
शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।मूल अधिनियम की
धारा 3 की उपधारा
(2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :-

आयोग में प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

मूल अधिनियम की
धारा 4, 6, 14,
16, एवं 17 में
संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में जहाँ-जहाँ शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आये हैं, वहाँ शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य" पढ़े जाएंगे।

मूल अधिनियम की
धारा 8 की उपधारा
(3) के पश्चात्
उपधारा
(4) एवं (5) का
जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नवत् दो नई उपधाराएं (4) एवं (5) जोड़ दी जाएंगी :-

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

मनोरी लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2004) for general information :

No. 47/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT No. 03 OF 2004)

To further amend The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

AN

Act

Short title,
Extent &
Commencement

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication.

Regulation of Staff for the Minority Commission

Sl. No.	Particulars	Pay Scale
3	उत्तरांचल असाधारण गजट, २८ फरवरी, २००४ ई० (फाल्गुन ०९, १९२५ शक सम्वत्)	
2	Clause (c) of Section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :- The words "and Vice Chairman" shall be added after the word "Chairman".	Amendment of clause (c) of Section 2 of the Principal Act
3	Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act shall be substituted as follows :- The Commission shall consist of a Chairman, a Vice Chairman and nine members nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman, provided that the Chairman, Vice Chairman and members shall be from amongst the minority communities.	Substitution of Sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act
4	Wherever the words "Chairman and Members" occur in Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act, shall be read as "Chairman, Vice Chairman and Members."	Amendment of Section 4, 6, 14, 16 & 17 of the Principal Act
5	After Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act, two new Sub-sections (4) & (5) shall be added as follows :- (4) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice Chairman. (5) If the offices of both Chairman and Vice Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.	Addition of two new Sub-section (4) & (5) after Sub-section (3) of Section 8 of the Principal Act
1	By Order,	
2	BHAROSI LAL,	
3	Secretary.	
4	Pay and allowances of P. A. to Chairman at the Pay scale of 5000-8000	
5	Pay and allowances of Senior Clerk at the Pay scale of 4000-6000	
6	Pay and allowances of Junior Clerk cum Computer operator at the Pay scale of 3050-4500	
7	Pay and allowances of Driver at the Pay scale of 3050-4500	
8	Fourth class employees at the Pay scale of 2580-3500	
9	One Chairman and One Deputy for Secretary	
10	Rent of office Building @ 10,000 per month	
11	Computer	
12	Photostat Machine	
13	Telephone	
14	Fax Machine	
15	Furniture and Furnishing	
16	Office Stationery and Consumables (क.प्र.सं.२/राज्यी)।	
17	Travelling allowance	
	Total	28.578



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 102/XXXVI(3)/2014/12(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2014)

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2002) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए —

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों।

संक्षिप्त नाम/शीर्षक
और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का

2. (1) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात:—
(2) आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम— निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे।

धारा 4 का

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात:—
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

आज्ञा से,

के0डी0 मट्ट,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 ई0
वैशाख 08, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 152/XXXVI (3)/2026/31 (1)/2026
देहरादून, 28 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर दिनांक 27 अप्रैल, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 09 वर्ष, 2026 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या- 09, वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए-

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तहरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।
		(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 4 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (1) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
सहदेव सिंह,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 4 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने में कठिनाई हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अन्य आयोगों के साथ समता (Parity) एवं अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने हेतु कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष किया जाना है।

3. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

No. 152/XXXVI(3)/2026/31(1)/2026
Dated Dehradun, April 28, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Commission for Minorities (Amendment) Act, 2026' (Act No. 09 of 2026).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27 April, 2026.

THE UTTARAKHAND COMMISSION FOR MINORITIES
(AMENDMENT) ACT, 2026
[Uttarakhand Act No. 09 Of 2026]

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Commission for Minorities Act, 2002;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Commission for Minorities (Amendment) Act, 2026. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Section 4	2	In sub-section (1) of section 4 of the Uttarakhand Commission for Minorities Act, 2002, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

By Order,

SAHDEV SINGH,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and Reasons

In section 4 of the Uttarakhand Minorities Commission Act, 2002, the tenure of Chairman, Vice-Chairman and Members is five years.

2- The tenure of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the National Commission for Minorities, the Uttar Pradesh Commission for Minorities, the Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission and the Uttarakhand Other Backward Classes Commission is three years. Additionally, due to the five year tenure of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Uttarakhand Commission for Minorities, it is becoming difficult to provide adequate representation to the minority community. Considering this, the tenure needs to be made three years to bring parity with other commissions and ensure adequate representation for the minority community.

3- The proposed Bill fulfills the above objectives.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

euvy I [;k& 2

$\frac{1}{2}$ vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh 'kfDr;k vkj dr0; $\frac{1}{2}$ (Powers and duties of its officers and employees)

1- vf/kdkfj;k dh 'kfDr;k vkj dr0; $\frac{1}{2}$ i'kk lfud] forRrh; vkj U;kf;d $\frac{1}{2}$

1- lfpo%& vk;kx dk lokPp i'kk lfud vf/kdkjh gku d dkj.k leLr mRrjnkf;Ro bl in e fufgr gA 'kk lu }kjk inRr vf/kdkj rFkk dr0; fuEuku lkj gA

vf/kdkj%&

d- i'kk lfud vf/kdkj%&

- 1- vk;kx e ljdkjh depkfj;k dh fu;fDr gku ij depkjh l l{ke fpfdRlkf/kdkjh }kjk inRr LoLFkrk iek.k&i= iklr djukA
- 2- v/khuLFk depkfj;k d okf"kd oruof) dk vf/kdkjA
- 3- vodk'k of) Lohdr dju dk vf/kdkj%& ;fn ljdkjh depkjh ml ikf/kdkjh d fu;U=.k e u jg x;k gk ft lu vodk'k Lohdr fd;k Fkk rk bl vf/kdkj dk i;kx ml ikf/kdkjh }kjk fd;k tk;xkA
- 4- vk;kx d leLr dk;k dk lEiknu ,o ekx n'ku%&
- 5- 'kk lu d vi{kku lkj fo'y" k.kkRed ifronu r;kj djuk%&
- 6- jkT; ljdkj dk lkekftd] vkfFkd] fo"k;k ij l>ko inku djukA
- 7- depkfj;k d LFkk;hdj.k@oru fu/kkj.k@okf"kd oru of) d idj.kk dk fuLrkj.k djukA
- 8- depkfj;k dh lok lEcu/kh fof/k idj.kk dk fuLrkj.k djukA
- 9- fpfdRlk iek.k i= d vk/kkj ij vf/khuLFk ljdkjh depkfj;k dk 45 fnu rd dk fpfdRlk vodk'k Lohdr djukA
- 10- v/khuLFk ljdkjh depkfj;k d 0;fDrxr pfj= d lEcu/k e vk[;k inku djukA
- 11- 'kk lu }kjk vkofVr vU; dk;k dk lEiknu djukA

[k- forRrh; vf/kdkj%&

- 1- dk;k y; i;kxkFk lkexh Ø; djukA
- 2- dk;k y; i;kx d fy; jktdh; en.k vkfn dk d; djukA
- 3- fu/kkfjr lhek l th0ih0,Q0 l LFkkb o vLFkkb /kujkf'k dk fu"dk lu rFkk lokfuoRr gku oky ljdkjh depkjh d th0ih0,Q0 l 90 ifr'kr /kujkf'k dk fu"dk lu dh LohdfrA
- 4- fu/kkfjr lhek rd vodk'k ;k=k lfo/kk dh Lohdfr inku djukA
- 5- mRd"V dk; dju oky depkfj;k dk fu/kkfjr lhek d vUnj ekun; inku dju dk vf/kdkjA
- 6- vf/khuLFk dk;jr depkfj;k d oru vkfn n;dk dk vkgj.k forj.k dk vf/kdkjA

- 9- erd ljdkjh depkjh d oru@HkRrk vkfn d nok dh foRrh; fu;e lxe [k.M 5 Hkx&1 d ijk 99 e nh gb 'krk d v/khu Hkxrku Lohdr djuka
- 10- foRrh; fu;e lxxg d vulkj fu/kkfjr lhekUrxr vU; leLr n;dk dk vkgj.k forj.k dk vf/kdkjA

x& dr0;%&

- 1- vk;kx }kjk lEikfnr leLr dk;k dk ekxn'ku djuka
- 2- vk;kx dk iklr f'kdk;rk dk v/;kof/kd v/;;u ,o mfpr dk;okgh djuka
- 3- vk;kx }kjk dh xb flQkfj'k dk 'kklu@ljdkj dk iHkkoh dk;okgh gr if'kr djuka
- 4- jk"Vh; egRo d dk;k e 'kklu d fun'kkul kj vif{kr dk;okgh djuka
- 5- ;g lfuf'pr djuk fd vk;kx }kjk dk;k dk lEiknu le; lkj.kh d vulkj fd;k tkrk g rFkk x.kkRed nf"V l mudk Lrj vPNk jgrk gA
- 6- fofHkUu Lrjk ij lHkh vko';d vkdMk d j[k j[kko dh lefpr rFkk ,lh 0;oLFkk djuk ft l vko';drk iMu ij lxxerk l miyC/k dj;k;k tk l dA
- 7- vk;kx e dk;jr depkfj;k dk vko';drkul kj ekxn'ku nukA
- 8- vk;kx dh okf"kd iR;konu fjikV dk idk'ku djuka
- 9- vk;kx e fu;Dr ek0 v/;{k@mik/;{k ,o lnL;x.kk dh leL;kvk@l>ko vkfn dk 'kklu@ljdkj dk vxlfjkr djuka
- 10- vk;kx dk iklr f'kdk;rh oknk ij ek0 v/;{k d fun'kkul kj LFkyh; fujh{k.k djuka

2& vU; depkfj;k dh 'kfDr;k vkj dr0;

y[kkdkj%&

ek0 vk;kx e y[kkdkj dk ,d in lfr g

- 1- viu vuHkx iHkkjh d fun'ku e dk; djxA
- 2- le;≤ ij mPp vf/kdkfj;k }kjk lki x; vU; dk; lEikfnr djuka
- 3- y[kk lEcU/kh leLr dk;k dk lEiknu djuka
- 4- vk;kx e egkuHkkok@vf/kdkfj;k vkj depkfj;k d oru HkRr vkfn d fcy r;kj djuk

o;fDrd lg;d%& vk;kx e v/;{k d dk;k gr o;fDrd lg;d dk 01 in lfr gA bld dr0; vkj vf/kdkj v/;{k vk;kx d }kjk fun'kkul kj fd; tk;xA

cfj"B fyfid%&

- 1- viu vuHkx iHkkjh d fun'ku e dk; djxA
- 2- LFkkiuk l lEcU/kh dk;
- 3- Vd.k dk dk; djuka

- 4- t h0ih0,Q0 ik lcd dk j[k&j[kkoA
- 5- leLr 'kk l ukn'k@xkM Qkby@vfHky[k rFkk i=kofy;k ,o ift d kvk dk j[k j[kkoA
- 6- depkfj;k dh pfj= ift d kvk dk j[k&j[kkoA
- 7- le;≤ ij mPprj vf/kdkfj;k }kjk vkofVr vU; dk;A

dEl;Vj vkijVj

- 1- Vd.k dk dk; djukA
- 2- Mkd lEi" k.k@Mkd fVdVv dk j[k&j[kko lEcU/kh dk;A
- 3- le;≤ ij mPPk vf/kdkfj;k }kjk vkofVr vU; dk;A

okgu pkyd

- 1- xkMh@y kxcd dk j[k j[kkoA
- 2- xkMh dh ejEer@lfoflx lEcU/kh dk;A
- 3- le;≤ ij mPPk vf/kdkfj;k }kjk vkofVr vU; dk;A

prFk J;.kh

- 1- LFkkuh; Mkd forj.k dk dk;A
- 2- dk;ky; [kkyuk@cUn djuk] rFkk viuh mifLFkr e dk;ky; ifj l j dh lQkb 0;oLFkk djokukA
- 3- dk"kkxkj e n;dk dk iLrr djuk rFkk iklr djukA
- 4- dk;ky; e i=kofy;k vkfn dk 0;ofLFkr dju ifjpkyu e leLr dkfedk dk i.k lg;kx inku djukA
- 5- dk;ky; d i kLV vkfQl lEcU/kh t l jftLV] LihM i kLV] i k l y vkfn leLr dk;A
- 6- vk;kx e vkxUrdk d vku ij mfpr <x l 0;oLFkk vkfn djukA
- 7- vf/kdkfj;k@depkfj;k }kjk lki x; vU; leLr ljdkjh dk;A



उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स नं०- 0135-278
ईमेलआईडी-info@ukn

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अघोईवाला देहरादून।

पत्रांक 368/उअसंआ/97-कार्यविभाजन पत्रा/2025-26

दिनांक 22 सितंबर, 2023

'कार्यालय आदेश'

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, के पदोन्नति आदेश सं०-513/नि.अ.क./1242-पदोन्नति/ई-125692/2025-26 दिनांक 19.09.2025, के द्वारा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून में कार्यरत श्री अनूप सिंह, कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर करते हुए उनकी तैनाती उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री अनूप सिंह द्वारा मा० आयोग में वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 20.09.2025, के अपराहन में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके दृष्टिगत आयोग के पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं०-195 दिनांक 19.07.2021, को अतिक्रमित करते हुए मा० आयोग के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न/क्रियान्वयन कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कार्यरत कर्मिकों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है:-

श्री अनूप सिंह, वरिष्ठ सहायक।

1. सी.एम.हैल्प लाईन एवं सी.एम.डैश बोर्ड।
2. अतिथि सत्कार से संबंधित कार्य।
3. निष्प्रोजय पंजिका का रख-रखाव।
4. आगुन्तकों के पंजिका का रख-रखाव।
5. डाक प्राप्ति से संबंधित समस्त कार्य।
6. प्रोटोकॉल संबंधी समस्त कार्य।
7. आयोग कार्यालय/कार्यालय परिसर की व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त कार्य।
8. आयोग कार्यालय का प्रबन्धन संबंधी कार्य।
9. रिट याचिकाओं से संबंधित कार्य।
10. वीडिंग अभिलेख पंजिका का रख-रखाव।
11. विधानसभा प्रश्नों/मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित समस्त कार्य।

श्रीमती दीपा बर्त्वाल, लेखाकार।

1. लेखा सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
2. ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बिल तैयार करना।
3. कैश बुक, लेजर तैयार करना।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम/सेवा का अधिकार से सम्बन्धित कार्यों का रख-रखाव।
5. स्टोर/नज़ारत संबंधी समस्त कार्य।
6. भण्डार पंजिका का रख-रखाव।
7. जी०पी० एफ पास बुक रख-रखाव।
8. सेवा पुस्तिका का रख-रखाव।
9. समस्त कर्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख-रखाव।
10. 18 दिसम्बर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस से संबंधित कार्य।
11. ऑडिट/सम्प्रेक्षा संबंधी कार्य।
12. शासकीय वाहनों के अनुरक्षण से संबंधित कार्य।

श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक।

1. प्राप्त शिकायत/वादों को दर्ज करते हुए रख-रखाव करना।
2. आयोग की बैठकों/भ्रमण कार्यक्रम का कार्यवृत्त तैयार करना।
3. मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगणों की व्यक्तिगत पत्रावली का रख-रखाव करना।
4. आयोग के महानुभाव/सदस्यगणों की व्यक्तिगत पत्रावली का रख-रखाव करना।

S/d/Ayog/letter

१

(131)

5. वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट तैयार करना।
6. कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव।
7. विभागीय वेबसाइट से संबंधित कार्य।
8. कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव।
9. कार्मिकों को देय अवकाश एवं अवकाश लेखा पंजिका का रख-रखाव।
10. आउटसोर्स कार्मिकों की उपस्थिति तैयार किये जाने संबंधी कार्य।
11. को-टर्मिनस कर्मचारियों से संबंधित कार्य।
12. दूरभाष से सूचना का आदान-प्रदान एवं वैयक्तिक सहायक के अन्य समस्त कार्य।
13. महानुभाव/सदस्यों का यात्रा बिल विवरण से संबंधित कार्य।

✓ श्री प्रकाश सिंह दानू कनिष्ठ सहायक।

1. डाक डिस्पेच संबंधी समस्त कार्य।
2. डाक सम्प्रेषण डाक टिकिटों का रख-रखाव सम्बन्धी कार्य।
3. गार्ड फाईल का रख-रखाव।

वाहन चालक।

1. गाड़ी लोकबुक का रख-रखाव।
2. गाड़ी की मरम्मत सर्विसिंग सम्बन्धी कार्य।

अनुसेवक/सफाई कर्मी

1. स्थानीय डाक वितरण का कार्य।
2. डाक प्रेषण का समस्त कार्य।
3. कार्यालय समय पर खोलना बन्द करना, तथा अपनी उपस्थिति में कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था करवाना।
4. कोषागार में देयकों को प्रस्तुत करना तथा प्राप्त करना।
5. कार्यालय में पत्रावलियों आदि को व्यवस्थित करने परिचालन में समस्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
6. कार्यालय के पोस्ट ऑफिस सम्बन्धी जैसे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि समस्त कार्य।
7. दूरभाष पंजिका का रख-रखाव।
8. आयोग में आगन्तुकों के आने पर उचित ढंग से व्यवस्था आदि करना।
9. आयोग कार्यालय के प्रत्येक कक्ष-कक्षों, परिसर, आदि की प्रतिदिन साफ-सफाई व्यवस्था।
10. आयोग कार्यालय परिसर के आस-पास की सप्ताह में एक बार सफाई व्यवस्था।
11. आयोग कार्यालय में सप्ताह में एक बार दीमक ट्रीटमेन्ट संबंधी कार्य।

समस्त कार्मिक आवंटित कार्यों का चार्ज/पत्रावलियां एक सप्ताह के भीतर संबंधित से प्राप्त/हस्तगत करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 आयोग के कार्यों की गोपनीयता को बनाये रखते हुए आवंटित कार्यों तथा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्यों को सुचारु रूप से एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए सम्पादन करना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय समय में अनावश्यक रूप से किसी बाहरी कर्मचारी/व्यक्ति को न बैठायें।



ह0/-
(जे.एस.रावत)

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या 368 दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 उपाध्यक्ष/मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

S/O/AYOG/ 18118

egkuHkkok d dr0;

- 1- vYil[;d lenk; d mRihfMr 0;fDr;k dh f'kdk;r iklr gku ij oknh@ifroknh dk vk;kx e cykdj luokb djukA
- 2- luokb d mijkuR fy; x; fu.k; dk mfpr dk;okgh d fy; 'kk lu @ ljdkj @ ftykf/kdkjh@ofj"B ifyl v/kh{k d@lEcU/kr foHkxk/;{k dk ekey d fuLrkj.k gr flQkfj'k djukA
- 3- vYil[;d lenk; d lkekftd] vkfFkd ,o 'kf{kf.kd fodkl gr iLrko 'kk lu @ ljdkj dk Hktuka
- 4- mRrjk[k.M e vYil[;dk d fodkl dh ixfr dk eY;kdu djukA
- 5- lfo/kku vkj jkT; fo/kku lHkk }kjk ikfjr vf/kfu;ek@fof/k;k l micU/kr vYil[;dk l lEcU/kr j{kik;k d dk;dj.k dk vuJo.k djukA
- 6- ljdkj l vYil[;dk d fgrk dh ljj{k.k d fy; j{kik;k d iHkkoh dk;kUo;u d fy; flQkfj'k djukA
- 7- vYil[;dk d vf/kdkjk vkj j{kik;k l ofpr fd; tku d lEcU/k e fofufn"V f'kdk;r dk n[kuk vkj ,l ekeyk dk lefpr ikf/kdkjk d le{k mBkukA
- 8- vYil[;dk d fo:) fdlh foHkn l mRiUu gku okyh leL;kvk dk v/;;u djuk vkj mud fuLrkj.k d mik;k dh flQkfj'k djukA
- 9- vYil[;dk d lkekftd] 'kf{k d vkfFkd fodkl l lEcU/kr fo"k;k ij v/;;u] 'kk/k vkj fo'y"kk.k dk lpkyu djukA
- 10- dkb vU; ekeyk tk jkT; ljdkj }kjk ml fufn"V fd;k tk;A
- 11- ljdkj dk mi/kkj $\frac{1}{2}$ d [k.M $\frac{1}{2}x\frac{1}{2}$ e fufn"V flQkfj'kk ij dh xb iLrkfor dk;okgh dk Li"V djr g, vkj ;fn dkb flQkfj'k Lohdkj ugh dh xb g rk mldk dkj.k nr g, ,d Kkiu d lkFk jkT; fo/kku e.My d iR;d lnu d le{k j[kok;xhA

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग- 01

देहरादून, 06 दिसम्बर 2005

विषय:- समाज कल्याण विभागान्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दी गई व्यवस्था/प्राविधानों के अनुरूप उक्त वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण हेतु उत्तरांचल राज्य में भी उत्तरांचल राज्य में भी उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का पृथक-पृथक गठन किया गया है।

2. यह भी अवगत कराना है कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अधिनियम 2003 की धारा 12 उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 की धारा 10, एवं उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 9 में यह प्राविधानित है कि किसी बात का विचारण करने में उक्त आयोगों को निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी।

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती उसकी परीक्षा करने,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जानें की अपेक्षा करने,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा करने

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के क्रम में आयोगों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(राधा रतूड़ी)
सचिव,

क्रमशः.....2

संख्या- 1625(1)/XVII (1)-01/2005-77 (स०क०)/2002

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. सचिव माननीय मुख्यमन्त्री, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल उत्तरांचल।
5. निबन्धक उच्च न्यायालय नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव।

euvy l[;k &3

**%fufuf'p; dju dh ifd;k e ikyu dh tku okyh ifd;k ft le
lk;o{k.k vkj mRRjnkf;Ro d ek/e lfeefyr g½**

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

1- fu.k; yu dh ifØ;k] fu.k; yu d ie[k fcUnvk dh igpku djuk

ek0 vk;ksx esa izklr f'kdk;rh oknksa ds fuLrkj.k dh izfdz;k%&

1& jkT; esa vYila[d leqnk; ds fdlh Hkh O;fDr ds mRihM+u gksus ij ihfM+r O;fDr ek0 vk;ksx esa f'kdk;rh i= iszf"kr djrk gSA ek0 vk;ksx Lrj ls vfxze dk;Zokgh gsrq f'kdk;rh izdj.k dks tkap gsrq IEcfU/kr foHkkx dks iszf"kr fd;k tkrk gSA IEcfU/kr foHkkx ls tkap vk[;k izklr u gksus ij ek0 vk;ksx }kjk mDr f'kdk;rh izdj.k ij vuqLekjd i= iszf"kr fd;k tkrk gSA nks ckj vuqLekjd i= iszf"kr djus ds lk'pkr~ Hkh ;fn foHkkx }kjk dksbZ dk;Zokgh ugha dh tkrh gS] rks IEcfU/kr izdj.k ij ek0 vk;ksx }kjk lquokbZ dh tkrh gSA ftlesa nksuksa i{kksa dks ryc fd;k tkrk gSA rFkk izdj.k ij dk;Zokgh dh tkrh gSA

2& f'kdk;rh izdj.k tkap gsrq IEcfU/kr foHkkx dks Hkstk tkrk gSA IEcfU/kr foHkkx ls tkap fjiksVZ izklr gksus ij fjiksVZ oknh dh lgefr@vlgefr gsrq iszf"kr dh tkrh gSA ;fn mDr tkap ls oknh lUrq"V ugha gS] rks ek0 vk;ksx }kjk oknh ,oa izfroknh dks lEeu dj izdj.k ij lquokbZ dh tkrh gSA

2& vfUre fu.kZ; ysus dk vf/kdkj& izdj.k ij vfUre fu.kZ; ysus dk vf/kdkj ek0 vk;ksx dks gSA

3& IEcfU/kr izko/kku] vf/kfu;e] fu;e vkfn

mRRkjk[k.M vYila[d vk;ksx vf/kfu;e 2002 ,oa mRRkjk[k.M vYila[d vk;ksx vf/kfu;e 2003 /kkjk 9 dh mi/kkjk&2 esa iznRRk 'kfDr;ksa rFkk leLr vU; leFkZdkjh 'kfDr;ksa dk iz;ksx djds vYila[d leqnk; ds fy, vYila[d vk;ksx fuEufyf[kr fofu;ekoyh fofu;fer djrs gSA

vk;ksx dh cSBd izR;sd =Sekl esa gksxh ftlds fy, de ls de ,d llrkg iwoZ voxr dj;k tk;sxA ;fn cSBd dh fu/kkZfjr frfFk esa vodk'k jgrk gS] rks vxys dk;Z fnol esa cSBd gksxhA ,slh cSBd ds vfrfjDr vko';drk gksus ij vk;ksx dh vU; cSBd v/;{k fdlh Hkh fnu cqykus ds funZs'k ns ldrs gSA vk;ksx dh cSBd cqykus ds fy, lnL; ds vuqjks/k ij Hkh v/;{k fopkj djrs gq, cSBd cqykus ds funsZ'k ns ldrs gSA vk;ksx dh ,slh cSBd dh dk;Zlwph lfpo ds glrk{kj ls lHkh lnL;ksa dks izklr dj;k;h tk;sxA vk;ksx dh cSBd dh dk;Zlwph og gksxh tks v/;{k fu/kkZfjr djsaxsA vk;ksx dh ,slh cSBd dh x.kiwfrZ vk;ksx esa rRle; fu;qDr lnL;ksa ds 50 izfr'kr ls gksxhA cSBd ds fy, x.kiwfrZ u gksus ij ,slh cSBd vU; frfFk ds fy, LFkfxr dj nh tk;sxA] ftldh lwpuk lHkh lnL;ksa dks nh tk;sxA LFkfxr dh x;h cSBd ds fy, nks lnL;ksa dh mifLFkfr x.kiwfrZ dk iwjk gksuk ekuk tk;sxA ;fn fdlh le; vk;ksx esa dsoy ,d gh lnL; fu;qDr gS rks ml n'kk esa x.kiwfrZ ,d gh lnL; dh gksxA

vk;skx dh cSBd esa fu.kZ; ;fn loZIEEkfr ls ugha gsrk gS] rks] cgqer ds vuqlkj fu.kZ;] tks] gksxk og vk;ksx dk fu.kZ; ekuk tk;sxA ;fn er cjkj gks rks v/;{k dks fu.kkZ;d er nsus dk vf/kdkj gksxk] tks muds lkekU; er ds vfrfjDr gksxA

vk;ksx dh cSBd vk;ksx ds eq[;ky;] nsgjknwu esa gksxh] ijUrq vk;ksx dh cSBd eq[;ky; ls ckgj fdlh vU; LFkku ij Hkh dh tk ldrh gSA vk;ksx ds lnL;ksa ds chp dk;Z dk cVokjk v/;{k }kjk fd;k tk;sxA dk;Z dks fuiVkus ds fy, v/;{k ,d lnL;h;@cgqlnL;h; lfefr dk xBu dj ldrs gSA vko';drkuqlkj v/;{k }kjk dk;Z foHkktu esa ifjorZu ;k mikUrj fd;k tk ldrk gSA ,slh lfefr] ftlesa v/;{k lfEefyr u gksa] dh laLrqfr v/;{k ds le{k vuqeksnuFkZ izLrr dh tk;sxA vkSj v/;{k cMh+ ihB dks lanfHkZr djsaxs vkSj ,slh ihB }kjk fy;k x;k fu.kZ; vk;ksx dk fu.kZ; ekuk tk;sxA

ek0 vk;ksx mRRkj[k.M vYila[;d vk;ksx vf/kfu;e 2003 dh /kkjk 9 esa of.kZr drZO;ksa o d`R;ksaa ds vuqlkj dk;Zokgh djsxk&

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ bldk nkf;Ro fuoZgu le;≤ ij jkT; ljdkj }kjk fufnZ"V fd;s tkus ij vk;ksx }kjk fd;k tk;sxA

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ bl mRRkjnkf;Ro dk fuoZgu $\frac{1}{4}$ tkap] fo'ys"k.k fjiksVZ dh lajpuk] vkfn $\frac{1}{2}$ vk;ksx dh vf/kd`r lfefr ds ekxZn'kZUK ds v/khu fd;k tk;sxA ;fn blesa laLFkk fo'ks"k ds vkdMs+] rF;ksa dks

,df=r djuk Hkh lfEEkfyr gS rks ,slk nkf;Ro v/;{k ds ekxZn'kZu
esa fuoZgu fd;k tk;sxA

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ lfefr dh fjiksVZ vk;ksx ds le{k izLrqr dh tk;sxA rnqijkUr
vk;ksx viuh laLrqr 'kklu dks iszf'kr djsxA

vk;ksx dks /kkjk 9 dh mi/kkjk $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ds [k.M d][k] vkSj ?k esa
mYYksf[kr d`R;ksa ds ikyu esa ;g lHkh 'kfDr;kW gksxh tks fdlh flfoy
U;k;ky; esa fdlh okn dh lquokbZ ds le; fufgr gS vksSj fo'ks'kdj
fuEufyf[kr fo'k;ksa ds lEcU?k esa vFkkZr&+

d& fdlh O;fDr dks leu djuk vkSj gkftj djuk rFkk 'kiFk ij mldh ijh{kk
djukA

[k& fdlh nLrkost izdV vkSj is'k djus dh vis{kk djukA

x& 'kiFk i=ksa ij lk{; xzg.k djukA

?k& fdlh dk;kZy; ls dksbZ yksd vfHkys[k ;k mldh izfrfyfi visf{kr djukA

M- lk{k;ska vkSj nLrkostksa dh ijh{kk ds fy, deh'ku tkjh djuk vkSj]

p& dksbZ vU; fo'k;] tks fofgr fd;k tk;sA

;fn vk;ksx esa fdlh fnol esa v/;{k@mik/;{k@lnL; vuqifLFkr jgrs gS rks
ml frfFk gsrq fu/kkZfjr ekeyksa dks lfpo }kjk lqk tk;sxA ftl ij fopkj dj
vko';drkuqlkj muds }kjk lEEku tkjh fd;s tk;saxs vFkok vfxze fu.kZ; gsrq
vk;ksx ds le{k izdj.k izLrqr fd;k tk;sxA

vYila[d leqnk; ds vkfFkZd fodkl dh ;kstuk izfdz;k esa Hkkx ysus vkSj
mu ij lEcU/kr cSBd essa lykg nsus ds fy, v/;{k ,sls ,d ;k ,d ls vf/kd lnL;ksa
dks tSlk og mfpr le>s mls ukfer dj ldrs gSA ,sls vf/kd`r lnL;@lnL;x.k cSBd
dh dk;Zokgh ,oa mlesa vius }kjk nh x;h lykg dh fyf[kr fjiksVZ v/;{k dks
izLrqr djsaxsaA vk;ksx dh vksj ls ,slh ;kstuk@izfdz;k@ lEcU/kr fo'k; ij ;fn
ijke'kZ Hksts tkus dh vko';drk gks rks vk;ksx dh cSBd esa fopkj foe'kZ ds
ckn Hkstk tk;sxA

vYila[d leqnk; ds lkekftd] vkfFkZd ,oa 'kS{kf.kd fodkl dh izxfr ds
ewY;kadu gsrq vk;ksx lEcU/kr foHkkx@izkf/kdkjh@laLFkk ls bl lEcU/k
esa lwpuk izklr djsx vkSj rF;kRed lwpuk izklr gksus ds lk'pkr~ mlds
ewY;kadu gsrq fo'k;ksa dks vk;ksx dh cSBd esa j[kk tk;sxA

euvy I[;k 4

$\frac{1}{4}$ dr;k d fuogu d fy, Lo; LFkkfir ekud $\frac{1}{4}$

(Norms set by it for the discharge of its functions)

; |fi ek0 vk;kx e dkb Hkh ekud ugh j[k x; g pfd turk }kjk tk f'kd;rh i= iklr
gkr g mudk fuLrkj.k fuEu ifd;k l fd; tkr gA

¼d½ vk;kx dk iklr f'kd;rk dk i thdj.k&

- 1- vk;kx doy vkj doy fyf[kr f'kd;rk Lohdkj djrk gA
- 2- vk;kx 0;fDrxr f'kd;rk /kkj.k djrk gA
- 3- f'kd;rk vH;Fkh }kjk 0;fDrxr : i l vFkok Mk d d ek;/e l nh tkrh gA
- 4- vk;kx dk iklr f'kd;rk dk fof/kor vk;kx }kjk f'kd;rk iftdk e ith;u fd;k tkrk gA

¼[k½ iklr f'kd;rk ij dk;okgh&

- 1- lkekU; idkj d mRihMu d ekeyk e ftykf/kdkjh] ofj"B ifyl v/kh{k d ,o lEcU/k r foHkkx vkfn d ek;/e l tkp dj;h tkrh gA tkp fjiV iklr gku ij f'kd;rkdrk dk lgefr@vlgefr gr fyf[kr iR;konu nu gr voxr dj;k tkrk gA vlgefr dh n'kk e ek0 vk;kx d inf/kdkfj;k }kjk Lo; tkp@luokb dh tkrh gA
- 2- luokb e oknh vkj ifroknh nkuk i{k dk viu dFku vfHkdFku rFkk lk; iLrr dju dk volj inku fd;k tkrk gA rRi'pkr f'kd;rk dk fuLrkj.k fd;k tkrk gA

vk;kx fuEu fyf[kr ekeyk dk lKku ugh yxkA

- 1- tk vYil[;d ox cuke vYil[;d ox l gkA
- 2- xj vYil[;d lenk; l lEcU/k r iklr ,l ikFkuk i= ftudk lEcU/k vYil[;d lenk; d mRihMu l u gkA
- 3- ,l idj.k tk e[;r% jk"Vh; vYil[;d vk;kx d vf/kdkj {k= e vkr gk ;k ftudk lKku mDr vk;kx }kjk y fy;k x;k gkA
- 4- tk okn fd l h ek0 U;k;ky; e fopkj/khu gkA
- 5- tk okn ikFkuk&i= nu d frfFk l 5 o"k l vf/kd ijku gkA
- 6- lok lEcU/kh ,l ekey ftue miyC/k foHkkxh; ifrdkj u fy;k x;k gkA
- 7- ,l ekey ftudk vk;kx }kjk igy gh lKku fy;k tk pdk gkA

वर्ष 2025-26 में मा0 आयोग को प्राप्त शिकायती प्रकरण

क्र.स.	जनपद का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायतों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जिसमें कार्यवाही गतिमान है।
1	नैनीताल	06	02	04
2	ऊधमसिंहनगर	19	09	10
3	देहरादून	27	04	23
4	हरिद्वार	08	03	05
5	टिहरी गढ़वाल	02	02	—
6	पिथौरागढ़	01	01	—
7	पौड़ी गढ़वाल	05	04	01
8	रूद्रप्रयाग	01	—	01
9	बागेश्वर	01	01	—
योग		70	26	44

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विगत वर्षों में गतिमान शिकायती प्रकरणों का निस्तारण

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	शिकायती प्रकरणों का निस्तारण
1.	2020-21	01
2.	2022-23	02
3.	2023-24	01
4.	2024-25	07
योग		11

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरण:-

विभाग का नाम	शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायते	कार्यवाही गतिमान
जिला प्रशासन	17	5	12
पुलिस विभाग	36	13	23
शिक्षा विभाग	2	—	2
विद्युत विभाग	4	3	1
चिकित्सा/स्वास्थ्य विभाग	2	1	1
प्राधिकरण	1	—	1
उच्च शिक्षा विभाग	3	1	2
जिला कार्यक्रम विभाग	1	1	—
पासपोर्ट विभाग	2	1	1
गन्ना विभाग	1	1	—
राजस्व विभाग	1	—	1
योग	70	26	44

वर्ष 2025-26 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **मो0 असलम, पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, बागेश्वर के शिकायती प्रकरण का विवरण:-** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 29.09.2024, को कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला पूर्ति कार्यालय बागेश्वर में हुई है। नियुक्ति की तिथि से वर्तमान तक प्रार्थी द्वारा पूर्ण ईमानदारी एवं लगन के साथ उक्त कार्यालय द्वारा आवंटित कार्यों, तीनों विकासखण्डों के राशन कार्डों का कार्य, नगरपालिका बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट, गरुड़ के राशन कार्डों का कार्य, प्रत्येक दिन कार्यालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों की समस्याओं एवं कार्यों का तत्समय निस्तारण तथा इसके साथ-साथ जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन भी समयान्तर्गत किया जाता है। तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर द्वारा आदेश दिनांक 29.04.2021 के द्वारा अधिष्ठान अनुभाग से संबंधित कार्य यथा पेंशन, समयमान-वेतनमान, वेतन निर्धारण आदि अधिष्ठान संबंधी कार्य भी प्रार्थी को आवंटित किये गये हैं, जबकि उक्त कार्य हेतु अधिष्ठान अनुभाग में कार्मिक तैनात हैं, उसके उपरान्त भी प्रार्थी के अल्पसंख्यक समुदाय का होने के कारण उत्पीड़न कर उच्चाधिकारियों द्वारा जानबूझकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि इस हेतु प्रार्थी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, किन्तु आतिथि तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर मा0 आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही कर जिलाधिकारी, बागेश्वर को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र सं0-328/चालीस-सी0सी0- मा0आयो0प्र0/24-25 दिनांक 19.08.2025, के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय आदेश सं0-869/दिनांक 13.08.2025 को अधिष्ठान अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी को उक्त समस्त कार्य ग्रहण करने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य दिनांक 14.08.2025 को हस्तगत किये जा चुके हैं तथा प्रार्थी की समस्या का समाधान भी किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी मा0 आयोग के प्रति कोटि-कोटि आभार प्रकट करते हुए नतमस्तक हैं।
- **मो0 अहमद, पुत्र श्री बशीर अहमद, निवासी-वार्ड नं0-6, इस्लामनगर, तहसील-खटीमा, जिला-ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरण:-** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम से आवास पर एक विद्युत कनेक्शन संख्या-KH2K624185288 लगा हुआ था। लगभग 5 वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2019 में प्रार्थी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त कनेक्शन कटवाते हुए मीटर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया था, जो लगभग वर्ष 2019 से बन्द चला आ रहा है, किन्तु प्रार्थी द्वारा जब अपने दूसरे भवन में उक्त कनेक्शन स्थानान्तरण करवाते हुए मीटर चालू करवाया, तो उसमें लगभग रू0 90,000/- का बिल आया, जिसके चलते प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगाई गयी थी, जिस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के परिसर में नया विद्युत मापक स्थापित करने के उक्त बिल की धनराशि को संशोधित कर रू0 19662.00 किया गया, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जा चुका है,

जिस हेतु प्रार्थी मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से समस्या का समाधान होने पर हृदय से आभार व्यक्त करता है।

- श्री अब्दुल यामीन, पुत्र स्व. श्री बन्नू मियां, निवासी-घटधार धारचूला, पिथौरागढ़ के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 20.12.1995 को संग्रह अमीन के पद पर धारचूला में हुई थी, तब से लगातार कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.03.2024, को ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ हूँ। प्रार्थी सेवानिवृत्त होने तक मूल वेतन 77700 तथा ग्रेड पे-5400 पर कार्यरत रहा। प्रार्थी की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व श्री गोपाल सिंह, श्री दीवान सिंह, श्री बहादुर राम, श्री राजे मेहरा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री हेमचन्द्र श्री आलम सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री कुंवर सिंह, श्री श्याम सुन्दर आदि संग्रह अमीनों को मा0 उच्च न्यायालय एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के आदेश के क्रम में नियमित पेंशन तथा अन्य लाभ दिये जा रहे हैं, किन्तु प्रार्थी को आतिथि तक नियमित पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिये गये हैं। मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को दिये गये, जिसके अनुपालन में अवगत कराया गया कि श्री अब्दुल यामीन को अन्तिम पेंशन दी गयी है तथा शेष देयकों का भुगतान शासन के दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त कर दिया जायेगा, जिस पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक 08.01.2026, को सुनवाई कर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया कि जिस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10 कार्मिकों की पेंशन स्वीकृत की है, उसी प्रकार वर्णित आदेश का संज्ञान लेते हुए श्री अब्दुल यामीन का भी पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराते हुए समस्त देयकों का भुगतान एक माह के अन्दर कराते हुए समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया।
- श्री अनीस अहमद, पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी-वार्ड नं0-5 अमरखुर्द, इस्लामनगर, डाकघर, खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रार्थी के आवास तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के ऊपर से विद्युत तारे डाली गयी है, जिससे किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित होने की लगातार पूरी सम्भावनायें बनी हुई हैं। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में लगातार सम्बन्धित कर्मचारी/लाईनमैन से विद्युत तारों को हटाये जाने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न करते हुए लापरवाही बरती जा रही है, जिस हेतु प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार भविष्य में होने वाली दुर्घटना के भय में जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा जनहित में तत्काल प्रभाव से प्रार्थी के आवास के ऊपर से गुजरने वाले तारों को हटाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर समस्या का समाधान कराये जाने हेतु विद्युत विभाग, रुद्रपुर को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 08.01.2026, को सुनवाई कर तत्काल अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ आवास एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के ऊपर से गुजर रही तारों को हटाये जाने के निर्देश दिये, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा सहमति व्यक्त कर समस्या का समाधान कराया गया। इस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग को आभार व्यक्त किया गया।

➤ श्री इमरान, पुत्र श्री अब्बास, निवासी-चिलकाना रोड़, पारक वाली मस्जिद, न्यू सम्राट कालोनी, सहारनपुर, उत्तर-प्रदेश की जनपद देहरादून से संबंधित शिकायत का विवरण:- प्रार्थी द्वारा श्री शारिक मलिक, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अपना, पत्नी व पुत्री का दिनांक 25.10.2024, को पासपोर्ट बनाये जाने हेतु पासपोर्ट कार्यालय, गढ़ीकेन्ट रोड़ हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था, जिसमें से प्रार्थी की पत्नी व पुत्री का पुलिस वेरीफिकेशन होते हुए पासपोर्ट की कार्यवाही पूर्ण कर पासपोर्ट बन गया है, किन्तु प्रार्थी वर्तमान में गोवा में कार्य करने के दृष्टिगत पुलिस के माध्यम से भौतिक सत्यापन आख्या देहरादून को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को साक्षात्कार की तिथि आज तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जबकि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा बार-बार पासपोर्ट कार्यालय गढ़ीकेन्ट में सम्पर्क करने पर न तो साक्षात्कार की तिथि दी जा रही है तथा न ही कारण बताया जा रहा है, जिससे प्रार्थी को मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा समस्या का समाधान कराये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी। जिस पर मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून को कार्यवाही कर पासपोर्ट जारी किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में प्रार्थी का पासपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी के पते पर प्रेषित किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए पत्र प्रेषित किया गया।

➤ श्री वचन सिंह, पुत्र श्री नवल सिंह, अल्पसंख्यक ग्राम किलावली थाना-कुण्डा, जसपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरण:- प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र श्री अनूप सिंह गुरुद्वारे की सेवा का कार्य करते हैं, दिनांक 16.06.2025 को समय करीब 1:15 बजे विपक्षीयों द्वारा गाली-गलौच, मारपीट करने तथा अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न किया गया, जिसमें प्रार्थी के पुत्र श्री अनूप सिंह को अत्यधिक चोटें आई हैं, जिसका मेडिकल एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में कराया गया है। उक्त घटना की सूचना थाना हाजा कुण्डा में दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की एफआईआर दर्ज नहीं की गयी, जिस हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी, जिस पर मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रकरण में विपक्षीयों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त कर आजीवन आभारी रहूंगा, के कथन के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

➤ श्री अब्दुल जब्बार, पुत्र श्री गुलाम, निवासी-खटीमा, ऊधमसिंहनगर, हाल निवासी-चाँद कालोनी, मकखनपुर, भगवानपुर, जिला-हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की पुत्री सहरबानों, पौनेक्स कम्पनी रायपुर, भगवानपुर में वर्कर के रूप में कार्य करती थी। दिनांक 15.08.2025 की सांय लगभग 4.00 बजे कम्पनी से ड्यूटी करके प्रार्थी की पुत्री अपने घर आ रही थी, उसी बीच प्रार्थी की पुत्री गायब हो गयी। प्रार्थी ने पुत्री की काफी खोजबीन की व अपने सभी रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन नहीं मिल पाई। प्रार्थी को प्राप्त जानकारी

के अनुसार ज्ञात हुआ कि उक्त कम्पनी में रमाकान्त, निवासी-खेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर-प्रदेश भी कार्य करता है, जो प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया है। प्रार्थी की पुत्री के साथ रमाकान्त कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है, जिसकी सूचना/तहरीर प्रार्थी द्वारा थानाध्यक्ष, भगवानपुर को दी, किन्तु थानाध्यक्ष, भगवानपुर द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मा0 आयोग को अवगत कराया। मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

➤ श्री रिजवान, पुत्र श्री रईस अहमद, निवासी-सेथल, जिला बरेली, उत्तर-प्रदेश, हाल निवासी-चांद कालोनी, थाना -भगवानपुर, जिला-हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की बहन शिफा, जन्मतिथि 10.08.2010 उम्र 15 वर्ष की नाबालिग दिनांक 19.08.2025 को विपक्षी शेखर कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल, निवासी-लोधीपुर, जिला सहारनपुर बहला-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया, जिसकी सूचना/तहरीर प्रार्थना-पत्र के माध्यम से थानाध्यक्ष, भगवानपुर को दी, किन्तु थानाध्यक्ष, भगवानपुर द्वारा न तो प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज की गयी और न ही विपक्षी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार है, जिससे प्रार्थी अत्यन्त श्रुद्ध व मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न से गुजर रहा है, जिस हेतु संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर मा0 आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही कार्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मा0 आयोग को अवगत कराया। जिस पर मा0 आयोग द्वारा पंजीकृत वाद को गुण-दोष के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश पुलिस को दिये गये। मा0 आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

➤ श्री सुखदीप सिंह, पुत्र श्री मनजीत सिंह, निवासी-ग्राम जंगल जोगीठेर, ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को श्री जगजीत सिंह जग्गा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के साथ विपक्षीगण द्वारा शिक्षा के स्तर पर विदेश भेजने का नाम पर लाखों की ठगी की गयी है, जिसे प्रार्थी द्वारा विपक्षी के बैंक खाते में डाले गये तथा प्रार्थी को दिनांक 15.01.2025, को शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाने की तिथि दी गयी, किन्तु जब उक्त तिथि को विपक्षी गायब हो गया, उसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा अपनी रकम वापस मांगी गयी, तो विपक्षी द्वारा प्रार्थी को रकम देने से इंकार कर दिया तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। प्रार्थी के साथ लाखों की ठगी की गयी है तथा झूठे तथ्यों के आधार पर जाल में फंसाकर गुमराह किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ-साथ रकम वापस दिलाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिस पर मा0 आयोग द्वारा तत्काल कार्यवाही के निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा अपराध पंजीकृत कर मा० आयोग को अवगत कराया गया, जिस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा० आयोग द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही कर विपक्षीगण के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. के संबंध में आभार व्यक्त किया गया।

- सरदार गुरतेज सिंह, निवासी-द्वारा श्री बलबीर सिंह, निकट गुरुद्वारा रोड़, पुरनिया, बिहार-854301 की जनपद पौड़ी गढ़वाल की शिकायत का विवरण:- प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ने हे.न.बहुगुणा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से माह अक्टूबर, 2025, को एम.डी.पैथोलॉजी थियोरी की परीक्षा पूर्ण तैयारी के साथ दी थी, किन्तु प्रार्थी को थियोरी में कम अंक प्राप्त हुए, जबकि प्रार्थी की थियोरी की परीक्षा बहुत अच्छी हुई, उसके उपरान्त भी प्रार्थी को अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त परीक्षा का पुर्नमूल्यांकन कराये जाने हेतु मा० आयोग से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मा० आयोग द्वारा छात्र के भविष्य के दृष्टिगत प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को पत्र प्रेषित कर त्वरित कार्यवाही कर पुर्नमूल्यांकन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रार्थी की परीक्षा का पुर्नमूल्यांकन कर संबंधित कापी मा० आयोग को उपलब्ध करायी गयी, जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी गयी, जिस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मा० आयोग को आभार व्यक्त किया गया।
- श्री शादाब, पुत्र श्री मोहम्मद इशाक, निवासी-ग्राम छिनकी, पोस्ट दरऊ, जिला-ऊधमसिंहनगर की शिकायत का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा० आयोग को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया कि प्रार्थी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है तथा उक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने के कारण प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि दर्ज कराये जाने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर किये गये आवेदन को बिना किसी कारण के जानबूझकर बार-बार निरस्त किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पूछे जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ धार्मिक टीका-टिप्पणी कर अभद्र व अपमानजनक व्यवहार कर कार्यालय से भगा दिया गया, जिससे प्रार्थी का मानसिक उत्पीड़न कर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विभेद उत्पन्न किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए सुनवाई कर न्याय दिलाये जाने की गुहार लगाई गयी है। इस हेतु मा० आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही कर मा० आयोग को अवगत कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसका अनुपालन करते हुए प्रार्थी के सेवायोजन नामांकन में शैक्षणिक वृद्धि दर्ज कर प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा० आयोग को आभार व्यक्त किया गया।
- श्री शुभम जैन, पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी वार्ड नं०-06, नगरपालिका बडकोट, उत्तरकाशी के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा० आयोग को प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया था, परन्तु आतिथि तक प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है, बल्कि अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज



आवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा शीघ्र अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ प्रकरण में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को पत्र प्रेषित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा प्रार्थी को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, से अवगत कराते हुए आख्या मा0 आयोग को प्रस्तुत की गयी।

➤ श्री इम्तियाज अली, पुत्र स्व0 श्री बशीर अहमद, निवासी-ग्राम मेहूवाला माफी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग को प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा जनहित प्रोडियूजर कम्पनी लि0 जिसके देहरादून में ब्रांच मैनेजर श्री उमेश कुमार, निवासी मुरादाबाद है, में एक आर.डी. खोली थी, जिसमें प्रार्थी द्वारा पैसा जमा कराया गया था, किन्तु वर्तमान में उक्त ब्रांच बंद हो गयी है तथा ब्रांच मैनेजर भी देहरादून से जा चुके हैं, जिनसे मोबाईल पर वार्ता कर प्रार्थी को अपशब्द बोलकर कहा जा रहा है कि अब कोई भी धनराशि वापस नहीं करेंगे, जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से अत्यन्त परेशान है तथा जमा धनराशि को वापस दिलाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही से सन्तुष्ट होते हुए मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

➤ श्रीमती गुलशाना खान, पत्नी श्री रईस अहमद, निवासी श्रीरामपुरम कालोनी, लेन नं0-5, गोविन्दगढ़, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरण:- प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी श्रीरामपुरम कालोनी की सद्भावी निवासी हैं। प्रार्थिनी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र भूमि की पूर्व मालिक स्वामी व काबिज श्रीमती कमलेश, पत्नी श्री तेजपाल से खसरा सं0-1513, रकबा 60.45 वर्गमीटर स्थित मौजा कांवली, परगना केन्द्रीयकृत देहरादून जिसकी पैमाईश दक्षिण व उत्तर दिशा में 16.25 फीट, एवं पूरब व पश्चिम दिशा में 40 फीट है क्रय की हुई है। उक्त भूमि पर वर्ष 2010 में प्रार्थिनी द्वारा भवन जिसमें 2 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम, लैट्रिन निर्मित है, का निर्माण करवाया गया। इस भूमि का क्षेत्रफल चूंकि 60.45 वर्ग मीटर है, तत्समय के नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि प्राधिकरण के नियम से स्पष्ट है, तत्समय निर्मित उक्त भवन में बिजली संयोजन भी करवाया गया था। किन्तु वर्तमान में एम.डीडीए द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री रईस अहमद को नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति द्वारा एमडीडीए के अधिकारी/कर्मचारी को यह बता दिया कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, हमें परेशान नहीं किया जाय, परन्तु अभी तक प्रताड़ना का सिलसिला चल रहा है, जिस हेतु अल्पसंख्यक समुदाय की महिला की शिकायत दर्ज कर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर मा0 आयोग द्वारा देहरादून मंसूरी प्राधिकरण को अग्रेत्तर कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र

प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि एम.डी.डी.ए द्वारा प्रार्थिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा मा0 आयोग का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

- श्री दिलशाद पुत्र स्व0 श्री बुद्ध, निवासी-भगवानपुर चन्दनपुर, रुड़की हरिद्वार हाल निवसी-137 सी-15 टर्नर रोड़, आज़ाद कालोनी, माजरा, देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरण:-प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की भगवानपुर चन्दनपुर में खसरा खतौनी की भूमि है, जिस पर विपक्षीगणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा भूमि का सीमांकन कराते हुए प्रार्थी की खसरा खतौनी की भूमि को पूरा कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रार्थी की समस्या का समाधान कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग में पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि मामले का निपटारा सन्तोषजनक हो गया है उक्त प्रकरण की कार्यवाही से प्रार्थी बहुत खुश है, इसलिये मा0 आयोग का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है।

euvy l[;k 5

viu }kjk viu fu;=.kk/khu /kkfjr ;k viu depkfj;k }kjk viu dr0;k d fuogu d fy; i;kx fd; x; fu;e] fofu;e] vun'k] funf'krk vkj vfHky[kA

½Rules, regulations, instructions,manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions½

lkn dk uke	lk'kk lfud dk;	forRkh; dk;	vU;
v/;{k	&	&	Ekk0 vk;kx e mRihMu lEcu/kh idj.kk dh luokb djuk] o ihfMr dk U;k; fnykuk
mik/;{k	&	&	Ekk0 v/;{k th dk mijkDr dk;k e lg;kx djuk rFkk vYi l[;dk d fgrkFk l>ko nukA
lnL;	&	&	&&&&rno&&&
lfpo	lk'kk lfud lEcu/kh dk;	vk;kx d vf/k"Bku d vUrxr lHkh forRkh; enk dk vkgj.k&forj.k dk vf/dkj gA	Ekk0 v/;{k th d fun'ku e vk;kx l lEcfU/kr lHkh dk;k dk fuogu
Yk[kkdkj			Yk[kk lEcu/kh dk;
o;fDr d lgk;d			Ekk0 v/;{k th@lfpo }kjk vk;kx l lEcfU/kr mud iVy l lEcfU/kr dk;k dk lEiknu
Okfj"B lgk;d			lfpo] }kjk vkofVr fd; x; dk;k dk lEiknu
dfu"B lgk;d			rno

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग

संख्या : 2756/स0क0/2003-411(समाज कल्याण)/2002

देहरादून : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 9 सन 2002) की धारा-2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल के मूल निवासी जैन समुदाय को उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करते हैं।

सुदर्शन अग्रवाल
राज्यपाल

आज्ञा से,
(एस. के. मुद्गू)
सचिव।

संख्या : 2756(1)/स.क./2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या : 2756(2)/स.क./2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
8. रागरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरुण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या: /XVII-B-1/2025-35(स.क)2002टी0सी IV (ई-67910)
देहरादून: दिनांक 24 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-357/XVII-B-1/2025-35(स0क0)/2002 टी0सी0 IV ई-67910, दिनांक 16.06.2025 के द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) की सुसंगत धारा के अन्तर्गत मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में सदस्यों को नामित किया गया है।

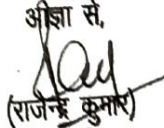
मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में उक्तानुसार नामित सदस्या श्रीमती फरजाना बेगम, निवासी रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर द्वारा मा0 आयोग में उपाध्यक्ष की नियमित नियुक्ति होने तक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन भी किया जायेगा।

(डॉ० पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या: 367()/XVII-B-1/2025-35(स.क)2002टी0सी IV, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।

अज्ञा से,

(राजेंद्र कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या: /XVII-B-1/2025-35(स.क)2002टी0सी IV (ई-67910)

देहरादून: दिनांक 16 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, निम्न सदस्यों को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य के रूप में नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. श्रीमती फरजाना बेगम, निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर। (महिला सदस्य मुस्लिम समुदाय से)
2. श्री जगजीत सिंह जग्गा, निवासी नानकमत्ता, जनपद ऊधमसिंहनगर। (सिक्ख समुदाय से)
3. श्री गगनदीप सिंह बेदी, निवासी ऋषिकेश, जनपद देहरादून। (सिक्ख समुदाय से)
4. डॉ० सुरेन्द्र जैन, निवासी बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर। (जैन समुदाय से)
5. श्री येशी थुप्टन पुत्र श्री प्रेमा जी सिथार, निवासी नैनीताल। (बौद्ध समुदाय से)
6. श्री नफीस अहमद, देहरादून। (मुस्लिम समुदाय से)
7. श्री शकील अन्सारी, पूर्व सभासद, बनबसा जनपद चम्पावत। (मुस्लिम समुदाय से)

उक्तानुसार नामित सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार पदभार ग्रहण की तिथि से 05 वर्ष होगा।

(धीराज सिंह गर्बाल)
सचिव।

संख्या: 354 ()/XVII-B-1/2025-35(स.क)2002टी0सी IV, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलार्युक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. सचिव, मा० उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मा० उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में नामित उक्त महानुभावों को कार्यभार ग्रहण कराते हुए, अल्पसंख्यक प्रमाण प्राप्त करते हुए एवं समस्त औपचारिकाताएँ पूर्ण करते हुए, अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या: 62 / XVII-B-1 / 2022 / 35-(स.क.)2002 टी.सी. IV
देहरादून : दिनांक : 05 जनवरी, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो. तस्लीम, निवासी खर्ट ऊधमसिंहनगर को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य के रिक्त पद पर नामित किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार नामित श्री मो. तस्लीम का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा के अनुसार पदभार ग्रहण की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 62 (1) / XVII-B-1 / 2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 62 (1) / XVII-B-1 / 2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित महानुभाव (द्वारा-सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून)।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

mRRkj[k.M jkT; e vYil[;d ox dh fLFfr

Hkkjr dk lfo/kku d vuPNn 200 d v/khu mÜkj[k.M fo/kku l Hkk }kj ikfjr mRRkj[k.M vYil[;d fo/k;d 2002 rFkk mÜkj[k.M vYil[;d vk;kx] l'kk/ku fo/k;d 2003 d Øe e mrjk[k.M ljdkj }kj fnukd 27 eb 2003 dk mÜkj[k.M vYil[;d vk;kx dk xBu fd;k x;k gA mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx ,d lkfof/kd Lor= fudk; gA mRRkj[k.M jkT; e vYil[;d ox d vUrxr mijkDr ikp /keofYy;k d vfrfjDr mRRkj[k.M 'kkl u dh vf/klpuk lO 2755 @lOd0@2003&411 ¼lekt dY;k.k%2002 fnukd 07] vDVcj] 2003 d }kj tu lenk; dk vYil[;d lenk; d :lk e vf/klfpr fd;k x;kA

mRRkj[k.M 'kkl u vYil[;d dY;k.k vuHkkx dh vf/klpuk lO 131@xvii &3@2016 &07%29%2015&fnukd 24] Qjojh] 2016 d }kj mRRkj[k.M d ey fuoklh efLye] blkb] fID[k ck)]tu o ikjlh lenk;k dk Hkh mRRkj[k.M e vYil[;d lenk; d :lk e vf/klfpr fd;k x;k gA vf/klfpr lenk;k dk mRRkj[k.M d vYil[;d lenk; dk iek.k i= lEcfl/kr ftykf/ldkj@vij ftykf/ldkj@flVh eftLVV@miftykf/ldkj @rglhynkj d Lrj l fuxr fd;k tkrk gA

mRRkj[k.M jkT; e vYil[;d ox d efLye ox dh tul[;k vU; vYil[;d ox dh vi{kk vf/kd gA o"k 1991 dh tux.kuk d vkdM ,o o"k 2001 dh tux.kuk d vkdM l Li"V g fd mRrjk[k.M e vYil[;d ox dh tul[;k c<rh tk jgh gA o"k 1991 e mRRkj[k.M jkT; dh dy tul[;k 70]58]347 Fkh rFkk vYil[;d ox dh tul[;k 9]03]557 Fkh tk fd dy tul[;k dk 12-80 ifr'kr Fkh o"k 2001 dh tux.kuk d vulkj mRRkj[k.M jkT; dh dy tul[;k 84-89 yk[k g ftle vYil[;d ox dh tul[;k 12-77 yk[k gA bl idkj 2001 dh tux.kuk d vulkj mRRkj[k.M jkT; e vYil[;d ox dh tul[;k dy tul[;k dk 15-04 ifr'kr gA
o"k 1991 dh tux.kuk d vulkj mRRkj[k.M e J.khokj tul[;k&

Ø-I-	vYil[;d ox	tul[;k
1	efLye	6]87]440
2	fØf"p;u	19]779
3	fID[k	1]75]795
4	ck)	12]789
5	tu	7]754
6	vU;	2]275
	;kx	9]03]557

dy tul[;k dk ifr'kr 12-80 %

o"k 2001 dh tux.kuk d vulkj mRRkj[k.M e J.khokj tul[;k&

Ø-I-	vYil[;d ox	tul[;k
1	efLye	10-12
2	fØf"p;u	0-27
3	fID[k	2-12
4	ck)	0-13
5	tu	0-09
6	vU;	0-04
	;kx	12-77

dy tul[;k dk ifr'kr 15-04 %

mÙkjk[k.M e vYil[;d lenk; dh o" 2011 dh tux.kuk d vulkj tul[;k

Ø-l-	lenk;	tul[;k	jkT; dh dy tul[;k dk ifr"kr
1	eflye	14]06]285	13-95%
2	fID[k	2]36]340	2-34%
3	blkb	37]781	0-37%
4	ck)	14]926	0-15%
5	lkj lh	&	&
6	tu	9]183	0-09%
;lx		17]05]055	16-90%

mrjk[k.M e vYil[;d lenk; dh tul[;k 2011 dh tux.kuk d vulkj 17]05]055 g] tk jkT; dh dy tul[;k dk 16-90 ifr"kr gA

mRRkjk[k.M e tuinokj lenk;okj tul[;k&2011

Ø-	tuin	tul[;k	vYil[;d	dy tu0 eflye	%eflye	dy tu0 blkb	%blkb	dy tu0 fID[k	%fID[k	dy tu0 ck)	%ck)	dy tu0 tu	%tu		ifr'kr
1	gfj}kj	1890422	673571	648119	34.284356	4878	0.25804	17364	0.91853	709	0.0375	2501	0.1323	35.6307	35.63
2	Åneflg uxjA	1648902	542342	372267	22.57666	6064	0.36776	162768	9.8713	505	0.0306	738	0.04476	32.8911	32.89
3	ngjinuA	1696694	268822	202057	11.908865	13416	0.79071	36454	2.14853	1177	0.0694	5117	0.30159	15.2191	15.84
4	uulriyA	954605	144178	120742	12.648373	5091	0.53331	17419	1.82473	570	0.0597	356	0.03729	15.1034	15.10
5	iMh x<okyA	687271	25981	22931	3.3365295	2161	0.31443	619	0.09007	58	0.0084	212	0.03085	3.78031	3.78
6	vYelMIA	622506	10135	7752	1.2452892	1895	0.30441	256	0.04112	201	0.0323	31	0.00498	1.6281	1.63
7	fVgjh x<oky	618931	8433	7374	1.1914091	656	0.10599	290	0.04685	32	0.0052	91	0.0147	1.36413	1.36
8	pEilorA	259648	9951	8693	3.3479942	870	0.33507	336	0.12941	24	0.0092	28	0.01078	3.8325	3.83
9	fiPkjtx<	483439	7874	6015	1.2442107	1401	0.28980	260	0.05378	185	0.0383	13	0.00269	1.62875	1.63
10	pekyA	391605	5347	4395	1.1223044	428	0.10929	323	0.08248	190	0.0485	11	0.00281	1.36541	1.37
11	mRrjdl"IA	330086	4711	3554	1.0766891	353	0.10694	167	0.05059	563	0.1706	74	0.02242	1.4272	1.43
12	Økx'o j	259898	1992	1440	0.5540635	397	0.15275	46	0.0177	102	0.0392	7	0.00269	0.76645	0.77
13	:ni;lxA	242285	1708	1486	0.6133273	171	0.07058	38	0.01568	9	0.0037	4	0.00165	0.70495	0.70
	TOTAL	10086292	1705045	1406825	13.947891	37781	0.37458	236340	2.34318	4325	0.0429	9183	0.09104	16.7996	16.90

mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx dh l kfof/kd fLFkfr

Hkkjr dk lfo/kku d vuPNn 200 d vUrxr jkT; vYil[;d dh LFkkiuk gr mRRkj[k.M fo/kku l Hkk }kj ikfjr mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx] fo/k; d 2002 rFkk mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx] l'kk/ku fo/k; d 2003 mRRkj[k.M vf/kfu;e l[;k 9 lu 2003 d }kj vf/k l fpr mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx dk xBu 27 eb] 2003 dk mRRkj[k.M jkT; e fd;k x; kA of.kr vYil[;d vk;kx e ,d v/;{k} nk mik/;{k ,o 09 lnL;x.k ukfer gA v/;{k ,o mik/;{k rFkk lnL;k dk dk;dky 05 o" fu/kkfjr fd;k x;k gA mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx] 27 eb] 2003 dk lo/kkfud Lrj inku fd;k x;k rFkk vYil[;dk dh J.kh e efLye] fID[k blkb ck) rFkk ikjlh d l kFk&2 'kk lukn'k l[;k &2756@l0d0@2003&411%l0d0% fnukd 07 vDVcj 2003 d }kj tu lenk; dk Hkh l fefyr fd;k x;k gA

vYil[;dk d lo/kkfud vf/kdkj o l j{k.k

/ke& Lor=rk dk vf/kdkj

vuPNn 25

1 l kotfud 0;oLFkk lnkpj vkj LokLF; rFkk bl Hkkx d nlj vUr%dj.k micU/kk d v/khu jgr g, 0;fDr;k dh Lor=rk dk rFkk /ke d vo/kk :lk e ekuu vkpj.k dju vkj ipkj dju dk leku gd gkxkA

2& bl vuPNn dh dkb ckr fd lh , lh oreku fof/k d ioru ij iHkko vFkok jkT; d fy, fd lh , lh fof/k d cuku e :dkoV u Mkyxh tk &

**vUr%dj.k dh rFkk /ke d vc/k
ekuu vkpj.k vkj ipkj dju
dh Lor=rk**

%d% /kkfed vkpj.k l lEc} fd lh vkfFkd] foRrh;] jktufrd vFkok vU; fd lh idkj dh ykfdd fØ;kvk dk fofu;eu vFkok fucU/ku djrh gkA

%[k% l ekftd dY;k.k vkj l/kkj micU/kr djrh gk vFkok fgUnvk dh l kotfud idkj dh /ke&lLFk vk dk fgUnvk d lc oxk vkj foHkxk d fy, [kkyrh gkA

0;k[;k&1 dik.k /kkj.k djuk rFkk ydj pyuk fID[k /ke d ekuu dk vx le>k tk;xkA

0;k[;k&2 [k.M%2% d mi[k.M%[k% e fgUnvk d ifr fun'k e fID[k] tu ;k ck} /ke d ekuu oky 0;fDr;k dk Hkh fun'k vUrxr g rFkk /ke lLFk vk d ifr fun'k dk vFk Hkh rnudy gh fd;k tk;xkA

vuPNn 26

l kotfud 0;oLFkk lnkpj vkj LokLF; d v/khu jgr g, iR;d lEink; vFkok ml d fd lh foHkx dk&

**/kkfed dk;k d icU/k dh
Lor=rk**

%d% /kkfed vkj io i;ktuk d fy, lLFk vk dh LFkkiuk vkj ik" k.k dk

%[k% viu /kkfed dk;k lEcU/kh fo" k; dk icU/k dju dk

¼x½ txe vkj LFkkj lEifr d vtu vkj LokfeRo dk rFkk
¼?k½ ,lh lEifr d fof/k vulkj i'kklu dju dk vf/kdkj gkxkA

vuPNn 27

dkb Hkh 0;fDr ,l dj k dk nu d fy, ck/; ugh fd;k tk;xk
ftud vkxe fd l h fo'k"k /ke vFkok /kkfed lEink; dh mUufr
;k i'k" .k e 0;; dju d fy, fo'k"k :lk l fofu;Dr dj fn;
x; gkA

fd l h fo'k"k /ke dh mUufr
d fy, dj k d nu d ckj
e Lor=rk

¼1½ jkT;&fuf/k l ij h rjg l i'k"kr fd l h Hkh f'k{kk lLFkk e
dkb /kkfed f'k{kk u nh tk;xhA

dN f'k{kk lLFkkvk e /kkfed
f'k{kk vFkok /kkfed&mikluk
e mifLFkr gku d fo'k; e
Lor=rk

¼2½ [k.M¼1½ dh dkb ckr ,lh f'k{kk lLFkk ij yx u gkxh
ft l dk i'kklu jkT; djrk gk fdUr ,l /keLo ;k U;k; d
v/khu LFkkfir gb g ft l d vulkj bl lLFkk e /kkfed f'k{kk
nuk vko';d gA

¼3½ jkT; d vfHkKkr vFkok jkT;&fuf/k l lgk;rk iku okyh f'k{kk&lLFkk e mifLFkr gku oky fd l h 0;fDr
dk ,lh lLFkk e nh tku okyh /kkfed f'k{kk e Hkkx yu d fy, vFkok fd l h lLFkk e ;k mll lyXu
LFku e dh tku okyh /kkfed mikluk e mifLFkr gku d fy, ck/; u fd;k tk;xk tc rd fd ml
0;fDr u ;fn og voL;d gk rk mld l j{k d u bld fy, viuh lgefr u n nh gkA

lLdfr vkj f'k{kk lEcU/kh vf/kdkj

vuPNn 29

¼1½ Hkkjr d jkT;&{k= vFkok mld fd l h Hkkx d fuok l h
Ukxfjd d fd l h foHkkx dk ft l dh viuh fo'k"k Hkk"kk fyfi
;k lLdfr g bl cuk; j[ku dk vf/kdkj gkxkA

vYil[;dk d fgrk dk
lj{k.k

¼2½ jkT; }kj k ?kkf"kr vFkok jkT;&fuf/k l lgk;rk iku oky
fd l h f'k{kk&lLFkk e io'k l fd l h Hkh ukxfjd dk doy /ke]
eyo'k] tkr] Hkk"kk vFkok bue l fd l h d vk/kkj ij ofpr u
j[kk tk;xkA

vuPNn 30

¼1½ /ke ;k Hkk"kk ij vk/kkfjr lc vYil[;d oxk dk viuh
:fp dh f'k{kk lLFkkvk dh LFkkiuk vkj i'kklu dk vf/kdkj
gkxk

f'k{kk lLFkkuk dh LFkkiuk
vkj i'kklu dju dk
vYil[;dk dk vf/kdkj

¼2½ f'k{kk&lLFkkvk dk lgk;rk nu e jkT; fd l h fo|ky; d
fo:} bl vk/kkj ij foHkn u djxk fd og /ke ;k Hkk"kk ij
vk/kkfjr fd l h vYil[;d ox d icU/k e gA

euvy l[;k 6

¼, l nLrkotk d tk mld }kjk /kkfjr ;k mld fu;=.kk/khu g] ioxk dk fooj.k½

¼A statement of the categories of documents that are held by it or under its control½

mRrjk[k.M vYil[;d vk;kx dk e[; dk; vYil[;d lenk; %efLye] fID[k] blkb] fdf'p;u] ck} ,o tu½ d mRihMu lEcu/kh f'kd;rh i= iklr gku ij lEcfU/kr foHkkx@ftykf/kdkjh@ifyI v/kh{k d l tkp djukA tkp vk[;k iklr gku ij f'kd;rh okn d fuLrkj.k gr fu;ekuI kj dk;okgh djuk gA

- 1 vk;kx d xBu dh vf/kIpkuk ftle vk;kx d v/;{k@mik/;{k@lnL;x.kk dh fu;fDr ,o dk;dky lEcu/kh fooj.k idkf'kr g tk fd tu lkeU; d fy; lyHk gA
- 2 vk;kx dk iklr f'kd;rk dh i=kofy;k g] tk xkiuh; ioFRrk dh u gku d dkj.k lo lyHk gA
- 3 vk;kx Lrj ij dkb Hkh xkiuh; nLrkot miyC/k ugh gA
- 4 vk;kx e fu;Dr **egkuHkkok@vf/kdkfj;k@depkfj;k** dh 0;fDrxr i=kofy;k gA
- 5 fMLip iftdk@i= [ikflr@i".k](#) iftdk
- 6 depkfj;k dh mifLFkfr l lEcfU/kr iftdkA
- 7 vU; i=kofy;k

euvy l[;k &7

fdlh 0;oLFkk dh fof'kf"V;k] tk mldh uhfr dh ljpuk ;k mld dk;kuo;u
d lEcU/k e turk d lnL;k l ijke'k d fy, ;k mud }kjk vH;konu d fy,
fo|eku gA

(Particulars of any arrangement their exists for consultation with or
representation by,the members of the public in relationsto the formulation of its
policy or implementation there of)

vk;kx d xBu gr tkjh jkT; ljdkj d jkt i= e fofgr 0;oLFkk gh ykx
gA turk d lnL;k l ijke'k ugh fy;k tkrk gA blfy; fdlh 0;oLFkk dh
fof'kf"V;k d lEcU/k e turk }kjk dkb i'u ugh mBrk gA vr% mDRk /kkjk l
lEcU/kr lpuk 'ku; gA

euvy l[;k & 8

$\frac{1}{4}$, l ckMk] ifj"knk] lfevr;k vkj vU; fudk;k d fooj.k ftue nk ;k vf/kd
0;fDr g] ftudk mld Hkkx:lk ;k bl ckj e lykg nu d i;ktu d fy; xBu
fd;k tkrk g fd D;k mu ckMk] ifj"knk] lfevr;k vkj vU; fudk;k dh cBd turk d
fy, [kyh gkxh ;k ,lh cBdk d dk;orrk rd turk dh igp gkxh $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$ A statement of the boards councils, committees and other other
bodies consist of two or more persons constituted as its part or for the
purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils,
committees and other bodies are open to the public, or the, minutes of such
meetings are accessible for public)

~~~~~

y<sup>k</sup>x ugh gA

~~~~~

euvy l[;k &9

vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh funf'kdk

(A directory of its officers and employees)

1& ek0 vk;kx e ukfer egkuHkko@InL;

Ø-I-	egkuHkko dk uke@inuke@irk@ek0 u0	;lxnku dh frfFk
1-	Jherh Qjtkuk] Ekk0 InL;k@vfrfjDr iHkkj ek0 mik/;{k] iRuh Jh lyhe] fuoklh&okM u0&25] rjkb fogkj dkykuh] x:ukud fMxh dkyt] Qktyij egjkyk] :nij] Å/kefIguxjA ek0 u0& 9837618455	03-04-2026
2-	ek0 rLyhe] ek0 InL;] ek0 InL;] fuoklh&flrkjxt] Å/kefIguxjA ek0 u0&7820064678	06-01-2022
3-	Jh txtir flg] Ekk0 InL;] i= Jh y[kfoUnj flg] fuoklh&xke Qy;k] ikLV IMklfM;k] Qy;k] ftyk&Å/kefIguxjA ek0 u0&9639653118	23-06-2025
4-	Jh xxunhi flg cnh] Ekk0 InL;] i= Jh tkxUn flg cnh] fuoklh&ch 40@41] Hkjr fogkj dkykuh] f'kd'k] tuin ngjknuA ek0 u0&9997519930	23-06-2025
5-	Jh ;'kh Fklru] Ekk0 InL;] i= iek th- flEkj] fuoklh Luk fo;] okM 'kkfr fuokl] pkVku ykt] eYyhrky] uuhrkyA ek0 u0&9837213934	23-06-2025
6-	Jh uQhI vgen] Ekk0 InL;] i= Jh vCny xuh] fuoklh&44] ihfr ,Udyo] egtjk] ngjknuA ek0 u0& 9412210600	23-06-2025
7-	Jh Idhy vgen] Ekk0 InL;] io IHkkIn] cucIk] i= Jh vCny jgeku] fuoklh&okM u0&02] ipidfj;k cucIk] ikLV&pknuh] tuin pEikora ek0 u0& 9897629470] 9536046646	
8-	Jh 'kkfjd efyd] ek0 InL;] i= Jh eryc vgen] fuoklh&68@2F jldkI] ngjknuA ek0u0&9084888555	23-06-2025

2& ek0 vk;kx e dk;jr vf/kdkjh ,o depkjh

Ø-I-	uke	inuke	vh;fDr
1	Jh t0, l0jkor	l fpo	
2	Jherh nhik cRoky	y[kkdkj	miuy d ek;/e l
3	Jherh 'kek iohu	o;fDr d lgk;d	miuy d ek;/e l
4	Jh idk'k flg nku	dfu"B lgk;d	
5	Jh /khjUn dekj	okgu pkyd	miuy d ek;/e l
6	Jh dey flg	vulod	
7	Jh iekn flg iokj	vulod	miuy d ek;/e l
8	Jh foØe flg	vulod	miuy d ek;/e l
9	Jh vouh'k dekj	pkdhnkj@lQkbdeh	miuy d ek;/e l

3& mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx e Jherh Qjtkuk cxe ek0
InL;k@vfrfjDr iHkkj] ek0 mik/;{k egkn;k d lkFk dk&Vfeul d
vk/kkj ij fu;Dr dkfedk dk fooj.k fuEuor gA

Ø-I-	uke	lnuke
1	Jh rkfyc	o;fDr d lgk;d
2	Jh [kkfyn	vulod

2& ek0 vk;kx dk VyhQku] QDI ,o bey vkb&Mh

dk;ky; dk uke	VyhQku u0	QDI u0	bey vkb&Mh
mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx	0135&2781201	0135&2781201	info@ukmc.in

euvy l[;k & 10

**iR;d vf/kdkjh vkj dePkkjh }kjk iklr ekfld ifjJfed] ft le mld fofu;ek
e ;Fkk micf/kr e ;Fkk micf/kr ifrdj dh i.kkYh lFEekfyr gA%**

**%Monthly remuneration received by each of its officers and employees,
including the system of compensation as provided in its regulation)**

**1& mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx e fu;Dr egkuHkkok dk n; ekfld ifjyf/k;k
dk fooj.k fuEuor gA**

Ø-	uke	inuke	ekun;@oru	vkok l HkRRkk	Okkgu HkRRkk	VyYhQku HkRRkk
1	Jherh Qj tkuk cxe	InL;@dk;okgd mik/;{k	45000-00	15000-00	40000-00	2000-00
2	ek0 rLyhe	InL;	6000-00	&	&	&
3	Jh txthr flg	InL;	6000-00	&	&	&
4	Jh xxunhi flg cnh	InL;k	6000-00	&	&	&
5	Jh ;'kh Fklru	InL;	6000-00	&	&	&
6	Jh uQhI vgen	InL;	6000-00	&	&	&
7	Jh l dhy vgen	InL;	6000-00	&	&	&
8	Jh 'kkfjd efyd	InL;	6000-00	&	&	&

**2& mRRkj[k.M vYil[;d vk;kx e mRRkj[k.M io lfud dY;k.k fuxe fy0 %miuY%
d ek/e l rukr depfj;k d uke ,o dy n; ekfld ifjyf/k;k dk fooj.k
fuEuor gA**

Ø-I-	uke	lnuke	miyC/k chtd d vk/kkj ij
1	Jherh nhik	Yk[kkdkj	22270-18
2	Jherh 'kek iohu	o;fDRkd lgk;d	22956-93
3	Jh /khjUn dekj	okgu pkyd	26945-20
4	vouh*k dekj	pkdhnkj@lQkbdeh	18899-89
5	Jh iekn flg iokj	vulod	17842-17
6	Jh fode flg	vulod	17842-17

**3 Jherh Qj tkuk cxe] ek0 InL;k@vfrfjDr iHkkj ek0 mik/;{k] mRRkj[k.M
vYil[;d vk;kx d fut h LVkQ dk&Vfeul d vk/kkj ij fu;Dr dkfedk dk
fooj.k**

Ø-I-	uke	lnuke	dy ekfld oru
1	Jh rkfyc	o;fDRd lgk;d	15000-00
2	Jh [kkfyn	vulod	12000-00

euvy l [; k &11

¼ l Hkh ;k t ukvk] i Lrkfor 0 ; ;k vkj fd; x; l forj.kk ij fji kV dh
fof" kV ;k min f" kr d jr g, viu i R ; d v fHkdj.k dk vkofVr ct V ½

(Budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

[illegible]

mRRkj[k.M vYi l[;d vk;kx dk 'kk lu }kjk o"k 2025&26 e fofHkUUk ekud enk
d vUrxr vkofVr ctV ,o 0;; fooj.k dk C;kj l yXu gA



वित्तीय स्वीकृति

प्रेषक,
निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
सेवा में,
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 59/नि.अ.क./बजट आवंटन/2025-26 दिनांक 23 अप्रैल, 2025
विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में "अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-228/XVII-B-1/2025-01(01)/2025 दिनांक 08 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में 'राजस्व पक्ष' की "अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के विभिन्न मानक मदों में संलग्न सूची के अनुसार ₹ 107.51 लाख (₹ एक करोड़ सात लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि जारी की गयी है। शासन स्तर से जारी धनराशि संलग्न बजट एलोटमेंट आई.डी. के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. शासन के वित्तीय स्वीकृति पत्र संख्या- 228/XVII-B-1/2025-01(01)/2025 दिनांक 08 अप्रैल, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. मानक मद 01-वेतन, 03-महगाई भत्ता, 06 अन्य भत्ते एवं 25-उपयोगिता बिलो का भुगतान मद में ग्लोबल बजटींग होने के मध्येनजर उक्त मदों में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
4. निदेशालय आदेश संख्या-186 दिनांक 12 जून, 2024 का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
7. मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक करते

- ए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि की फंड पार्किंग किसी भी दशा में न की जाये तथा स्वीकृत धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण रूप से व्यय कर ली जायेगी।
10. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों सहित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक "2225 -अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेशक तथा प्रशासन-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 22-04-2025
13:37:50

भवदीय,
(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड देहरादून।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

(भारत चन्द्र)
वित्त अधिकारी।



Print Date:-24/Apr/2025 01:44 PM

Signature Not Verified

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Digitally signed by: Mr Hira Singh
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 24-04-2025 13:45:06

Head of Department : Director Minority Welfare (4132)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-Secretary State Minority Commission(4131)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25040150017

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 23-APR-2025

लेखा शीर्षक -

2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण
001	निर्देशन तथा प्रशासन	04	अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान
00	-		

2	2	2	5	0	4	0	0	1	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	300000	0	300000
2	04-यात्रा व्यय	0	10000	0	10000
3	07-मानदेय	0	4500000	0	4500000
4	08-पारिश्रमिक	0	1900000	0	1900000
5	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	100000	0	100000
6	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	50000	0	50000
7	22-कार्यालय ँय	0	150000	0	150000
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	100000	0	100000
9	26-कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	100000	0	100000
10	27-यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	300000	0	300000
11	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	200000	0	200000
12	30-आतिथ्य व्यय	0	20000	0	20000
	योग	0	7730000	0	7730000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 77,30,000 (Rupees Seventy Seven Lacs Thirty Thousand Only)

Batch ID : DIS:4132:4132:2504:0002

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून
पत्र प्राप्ति सं. 360
दिनांक 24/9/2025
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 520 / नि.अ.क / बजट आवंटन / ई-34604 / 2025-26 दिनांक 24 सितम्बर, 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 के "अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" एवं "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-459XVII-B-1/2025-01(21)/2020 दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूर्वक बजट में "अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान" एवं "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित योजनाओं/विवरणानुसार कुल धनराशि ₹15.00 लाख (पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। शासन स्तर से जारी वित्तीय स्वीकृति संलग्न बजट एलोटमेंट आई.डी. के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० स०	योजना का लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि अवमुक्त
1	लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" के मानक मद-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10.00
2	लेखाशीर्षक 2225 -अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेशक तथा प्रशासन-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान की मानक मद '51-अनुरक्षण'	5.00

- शासन के पत्र संख्या-459XVII-B-1/2025-01(21)/2020 दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक सी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है कि जिसे व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर

ली जायेगी।

5. मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/राज्य सरकार को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. स्वीकृत धनराशि का फंड ऑफ पार्किंग किसी भी दशा में न की जाये तथा स्वीकृत धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण रूप से व्यय कर ली जायेगी।
 8. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों सहित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्यय संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. महालेखाकार/निदेशक, आडिट स्तर से होने वाले आडिटों हेतु समस्त अभिलेख आयोग स्तर से प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 2 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत प्रस्तर-01 में उल्लिखित योजनाओं के लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न यथोक्त।

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Date: 22-09-2025
17:04:44

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. - महालेखाकार, आडिट, कॉलागढ, देहरादून।
2. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. - मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. - गार्ड फाईल।

(भारत चन्द्र)

वित्त अधिकारी।



IFMS
Uttarakhand

Print Date:-24/Sep/2025 01:06 PM

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)**

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Hira Singh
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 24-09-2025 13:06:46

Head of Department : Director Minority Welfare (4132)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-Secretary State Minority Commission(4131)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25090150107

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 23-SEP-2025

लेखा शीर्षक -

2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण
001	निदेशन तथा प्रशासन	04	अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान
00	-		

2	2	2	5	0	4	0	0	1	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	51-अनुरक्षण	0	500000	0	500000
	योग	0	500000	0	500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 5,00,000 (Rupees Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4132:4132:2509:0003

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand



Print Date:-24/Sep/2025 12:50 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Hira Singh
Reason: HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 24-09-2025 12:51:33

Head of Department : Director Minority Welfare (4132)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-Secretary State Minority Commission(4131)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 015

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25090150108

आवंटन पत्र दिनांक - 23-SEP-2025

2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण
800	अन्य व्यय	05	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
00	-		

2	2	2	5	0	4	8	0	0	0	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	1000000	0	1000000
	योग	0	1000000	0	1000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lacs. Only)

Batch ID : DIS:4132:4132:2509:0004

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

प्रेषक,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

mlong
mlong

लगुन
9/4/2026

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून
पत्र प्राप्ति नं. 688
दिनांक 07/02/2026
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पत्रांक 840 / नि.अ.क./ बजट आवंटन/ 2025-26 दिनांक 06 फरवरी, 2026
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में "अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत के विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत पुनर्विनियोग धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 563/XVII-B-1/2026-01(03)/2025 दिनांक 13 जनवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2225 - अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेशक तथा प्रशासन-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" के मानक मद-22 कार्यालय व्यय में ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) '26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर' ₹ 1.75 लाख (₹ एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) एवं मानक मद-29 गाड़ियों का संचालन एवं अनुरक्षण ₹ 5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र) का बी0एम09 के अनुसार '04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान के मानक मद-07 मानदेय से धनराशि ₹ 7.75 लाख (₹ सात लाख पचहत्तर हजार मात्र) से पुनर्विनियोग करते हुए उक्त ₹ 7.55 लाख (₹ सात लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति संलग्न बजट एलोटमेंट आई.डी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. शासन के वित्तीय स्वीकृति पत्र संख्या- 563/XVII-B-1/2026-01(03)/2025 दिनांक 13 जनवरी, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि की स्वीकृति अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान के मानक मद '22-कार्यालय व्यय, '26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर' एवं 29 गाड़ियों का संचालन एवं अनुरक्षण में नियमानुसार व्यय हेतु प्रदान की जा रही है।
3. स्वीकृति धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/ड्राफ्ट में नहीं रखा जायेगा।
4. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
5. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की

स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules 2025 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय- व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश-193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जिन मदों से बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया गया है, उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निदेशालय/शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग के मासिक सूचनाएं बी0एम0-04 पर निदेशालय को प्रेषित की जाए।
8. व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0- I/287566/E-7971309(150)2019/XXVII(I)/2025, दिनांक 31.03.2025 शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 20225 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-84/XXVII(I)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष से सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. इस संबंध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक "2225 -अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण-001-निदेशक तथा प्रशासन-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान" -'22 कार्यालय व्यय, '26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर' एवं 29-गाड़ियों का संचालन एवं अनुरक्षण मदों के नामें डाला जायेगा।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by
HIRA SINGH
Date: 06-02-2026
(हीरा सिंह) (निदेशक)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड देहरादून।
2. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

(भारत चन्द्र)
वित्त अधिकारी।



Print Date:-06/Feb/2026 05:17 PM

Signature Not Verified

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Digitally signed by: Mr Hira Singh
Reason: HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-02-2026 17:18:09

Head of Department : Director Minority Welfare (4132)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-Secretary State Minority Commission(4131)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H26020150004

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 06-FEB-2026

लेखा शीर्षक -

2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण
001	निदेशन तथा प्रशासन	04	अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान
00	-		

2	2	2	5	0	4	0	0	1	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	22-कार्यालय व्यय	150000	100000	149849	250000
2	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	100000	175000	94000	275000
3	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	200000	500000	200000	700000
	योग	450000	775000	443849	1225000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 7,75,000 (Rupees Seven Lacs Seventy Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4132:4132:2602:0001

Approval Status : e-Sign letter

euvy l [;k &12

**¼ l gkf; dh dk; dek d fu"iknu dh jhfr ft le vkofVr jkf'k vkj , l dk; dek d
Qk;nkxfg;k d C;kj lfEefyr g½**

**(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts
allocated and the details of beneficiaries of such programmes)**

, l k dkb dk; Øe ykx ugh g ft le vkoVu iklr vkj 0;; fd;k tkrk gkA
vr% mDr /kkjk d l EcU/k e l puk 'kU; gA

euvy l [;k &13

¼viu }kj k vunRRk fj;k;rk] vuKki=k ;k i kf/kdkjk d i kflrdrvk dh fof'kf"V;k½

(particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it)

[illegible]

mDr /kkjk dk mRRkjk[k.M vYi l [;d vk;kx l dkb lEcU/k ugh gA vr% lpuk 'kU;
gA

eu vy I [; k &14

**¼fd I h byDVkfud : i e I puk d I EcU/k e C ; kj] t k m I d k mi yC/k g k ; k
m I d } kj k / k kfj r g k ½**

**(Details in respect of the information, available to or held by it's
reduced in and electronic from)**

**vk ; kx I EcU/kh I EkLr fooj.k bUVjuV ij vk ; kx dh co I kbV
www.ukmc.in ij mi yC/k gA**

euvy l [;k &15

**¼ Ipuk vfHkiklr dju d fy, ukxfjdk dk miyC/k lfo/kkvk dh fof'f"V;k ftud
vUrxr fdlh iLrdky; ;k okpu d{k d ;fn ykd mi;kx d fy, vujf{kr g
;k dk;dj.k ?kV lfEEKfyr g½**

**(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the
working hours of a library or reading room, if maintained for public use)**

- 1- Ipuk d vujk/kdrkvk dh lfo/kk d fy, dk;ky; e Ipuk dk vf/kdkj
lEcU/kh tkudkjh nu dh 0;oLFkk dh xb gA
- 2- dk;ky; e Ipuk dk vf/kdkj lEcU/kh Ipuk iVV yxk;k x;k gA
- 3- Ipuk fdlh Hkh dk;fnol e ikr% 10 ct l lk; 5 ct rd iklr dh tk
ldrh gA
- 4- Ipuk iklr dju gr loiFke lfpo] mRRkjk[k.M vYil [;d vk;kx l
lEid fd;k tk ldrk gA

euvy l [;k &16

³/₄ykd l puk vf/kdkfj;k d uke] inuke vkj vU; fof'k"V;k¹/₂

(Names, designation and other particulars of the public information officers)

[illegible]

foHkxh; viyh; vf/kdkjh dk uke@inuke&

J^h g^hj^k f l g c l M^k

viyh; vf/kdkjh@mifun'kd

vYi l [;d dY;k.k Hkou

'kghn Hkxr flg d~~y~~kuh] v/kkbok~~y~~k ngj~~k~~nuA

Qku u0&0135&2780122

ykd lpuk vf/kdkjh dk uke@inuke

Jh t0, l0jkor

Ykkd l puk vf/kdkjh@ l fpo

mRRkj_k[_k.M vYi l [_k;d vk;_kx ngj_knua

ek0u0&9412119278

euvy l [;k &17

$\frac{1}{4}$, l h vU; l puk tk fofgr dh tk; $\frac{1}{2}$

(Any other information to be included)

Hkkjr ljdkj vkj jkT; ljdkj l vYi l [;d dY;k.k d fy; iklr l pukvk
dk LFkkuh; lepkj i=k d ek/e l tu lk/kkj.k d fy; fofgr fd;k tkrk g
rFkk vU; l puk; evy 01 l 16 e fufgr gA

